

16/5/96

lib.

HV-8/12

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1995

खंड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण



सोमवार, 13 मार्च, 1995

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

| | |
|---|----------|
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (6) 1 |
| नियम 45 के अधीन सदन की बेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | (6) 21 |
| रूलिंग रिजर्व रखना | (6) 24 |
| अनुपस्थिति की अनुमति | (6) 25 |
| वर्ष 1995-96 का बजट पेश करना | (6) 25 |
| वाक आउट | (6) 36 |
| वर्ष 1995-96 का बजट पेश करना (पुनरारम्भ) | (6) 36 |

मूल्य :

123 (6)

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha debates Vol. I, No. 6,
dated the 13th March, 1995.

| Read | For | Page | Line |
|---|--|------|------|
| जुलाहे | जुलाह | 2 | 23 |
| फॉडज़ | फॉडज | 5 | 32 |
| रिचाजिंग | रिस्ताजिंग | 13 | 8 |
| otherwise | otherw se | 14 | 16 |
| आती | अ ती | 17 | 33 |
| पार्टीकुलर | पार्टीकुलर | 18 | 23 |
| टेंडर | टेंडर | 20 | 17 |
| construction | construc ion | 22 | 19 |
| पहुंच सार्ग | पहुंच सार्ग | 22 | 29 |
| expenditure | expenditu e | 24 | 15 |
| financial year (here in after referred | finan ial year (he inafter refe red | 24 | 16 |
| presentation | presen ation | 24 | 18 |
| वर्ष | वर्ष | 37 | 7 |
| सभावना | सभावना | 42 | 2 |

| |
|--|
| |
|--|

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-1, चंडीगढ़ में 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् हुई। अध्यक्ष (चौधरी इश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारंकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आगे बढ़ाया जाएगा, अब सवाल होगे।

Amount Received from Government of India

*1034 Shri Ram Bhajan Aggarwal : Will the minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any amount has been received from the Government of India for the development of Handloom sector in the State during the years 1991-92 and 1993-94?

(b) if so, the details thereof?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार से 68,20,128.00 रुपये की दूनराशि प्राप्त हुई। इसमें से 58,20,128.00 रुपये रिवेट स्कीम के अन्तर्गत और 10,00 लाख रुपये बाजार विकास सहायता स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त हुए।

वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 69,38,219.00 रुपये की दूनराशि प्राप्त हुई जिसमें से 30,36,203.00 रुपये रिवेट स्कीम के तहत और 39,02,006.00 रुपये बाजार विकास सहायता स्कीम के तहत प्राप्त हुए।

(6) 2

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

श्रोतृ राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया है कि हथकरघा विकास के लिए अलग अलग दो साल में 68,20,128.00 रुपये और 69,38,219.00 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। डंकल प्रस्ताव के बाद भारत का जो कुटीर उच्चोग है, स्वदेशी उच्चोग है, खासकर सूती कपड़े से जुड़ा हुआ जो उच्चोग है, उसके ऊपर बड़ी आरोपी बोढ़ हुई है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह जो राशि आई है क्या यह आपकी अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त थी? यदि यह पर्याप्त थी तो जैसे हमारे यहाँ का घासरा अमेरिका में लोकप्रिय हुआ था और वहाँ की सरकार ने उस पर पावन्दी लगा दी थी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ का किसान कपास भी पैदा करता है तो क्या यह राशि कम नहीं थी? यदि कम समझते हैं तो इस उच्चोग के विकास के लिए और कोई विशिष्ट योजना है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिवेट की स्कीम है इस पर भारत सरकार ने पहले अधिकांतम रिवेट 250 रुपये की पावन्दी लगा रखी थी। बाद में यह लिमिट 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपभोक्ताओं को कापदा दिया जाये। जो स्टाल लगते हैं उन से कपड़ा परचेज करने पर खरीदार को 20 परसेंट रिवेट दी जाती है। रिवेट का आधा पैसा भारत सरकार का होता है और आधा राज्य सरकार का होता है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय भिवानी के अन्दर एक हैण्डलूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिस पर बड़ा सा तालों लगा हुआ है सरकार का बहुत पैसा उस बिल्डिंग पर लगा हुआ है। क्या ये इस यूनिट को बढ़ावा देकर किरण से चालू करने की चेष्टा करेंगे? दूसरे हैण्डलूम सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको सबसिङ्गी के रूप में या ग्रान्ट के रूप में कुछ पैसा देंगे ताकि जो जुला ह कपड़े बनाना चाहते हैं उनको उत्साहित किया जा सके?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 3 हजार हैण्डलूम यूनिट्स लगाने का फैसला किया है जिस में से 24 यूनिट्स हरियाणा गवर्नर्मेंट को दिए हैं और इन के लिए 27 लाख रुपये दिए जाएंगे। 17 लाख रुपये शीरूम के लिए लोट की शक्ति में होंगे और 10 लाख रुपये सबसिङ्गी की शक्ति में होंगे। जहाँ तक भिवानी का ताल्लुक है, यह बात ठीक है कि यह यूनिट 1991-92 से बन्द है क्योंकि वह घाटे में चल रही थी। एक साल में 3 लाख का आदा होता था इसलिए बन्द पड़ी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि उसको चालू करके प्रैफिल में लाए ताकि जो वीवर उसमें लगे हुए थे, उन को काम मिल सके।

श्रोतृ संपत सिंह : स्पीकर सर, रिवेट के लिए जो पैसा है वह दोनों सालों में अलग अलग आया है। स्कीम जो भार्किट डिवैल्पमेंट असिस्टेंस है उसके बारे में

मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिवेट आन सेल हैण्डलूस गुड्ज किसको मिलती है—मैन्युफैक्चरर को होलसेलर को या, रिटेलर को ?

चौधरी भजन लाल : इसका बैनीफिशरी कानूनम् है जो खरीद करता है।

ओ० संपत्ति सिंह : स्पीकर सर, क्या 'मुख्य मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेगे कि अगर एक आदमी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद करता है, क्या उसको भी रिवेट मिलता है, या अगर कोई आदमी होलसेल डीलर से या रिटेल में खरीदता है, क्या उसको भी रिवेट मिलेगा ? जरा स्थिति कलीयर कर दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये बाकायदा डेट तथ की हुई है, उसी के हिसाब से स्टाल लगते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज का अपना स्टाल होता है। जैसे खादी की जो खरीद होती है उसकी डेट २ अक्टूबर है। इस दिन काफी छूट दी जाती है। डेट्स किस करके, बाकायदा जैसे मैने पहले कहा, स्टालज बगैरह लगते हैं और उपभोक्ता बहां से अपनी परचेज करता है। बहां से २० परसेन्ट रिवेट मिलती है। २० परसेन्ट रूपये बिल में से काट कर रिवेट दी जाती है। इस रिवेट का आधा पैसा हम भारत सरकार से बसूल करते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1045

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य चौधरी भरत लेह इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Installation of Sprinkler Sets in the State

***1044 Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

- the Districtwise number of farmers who have got installed sprinkler sets during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 separately in the State;
- the number of farmers out of those referred to in part (a) above, have been given subsidy under the State and Central Scheme separately ; and
- whether any funds received from Govt. of India for the disbursement of subsidy on Sprinkler Sets lapsed during the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94 ; if so, the amount thereof ?

(6) 4

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

Agriculture Minister, : (Shri Harpal Singh)

- (a) The districtwise number of farmers who installed sprinklers sets during the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94 is annexed at Annexure-I.
- (b) The number of farmers yearwise given subsidy under State and Central Scheme is annexed at Annexure-II.
- (c) The yearwise details of funds received from Government of India and their utilization/surrender are annexed at Annexure III.

ANNEXURE—I

| Sr. No. | Name of District | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Gurgaon | 54 | 87 | 91 |
| 2. | Bhiwani | 1134 | 1451 | 787 |
| 3. | Rohtak | 73 | 116 | 25 |
| 4. | Mohindergarh | 1297 | 1036 | 198 |
| 5. | Rewari | 331 | 592 | 160 |
| 6. | Hisar | — | 119 | 72 |
| 7. | Sirsa | — | — | 5 |
| | Total | 2889 | 3401 | 1338 |

ANNEXURE—II

| Sr. No. | Name of District | 1991-92 | | 1992-93 | | 1993-94 | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | State | Central | State | Central | State | Central |
| 1. | Gurgaon | 27 | 27 | 49 | 38 | 91 | — |
| 2. | Bhiwani | 720 | 414 | 578 | 873 | 633 | 154 |
| 3. | Rohtak | 63 | 10 | 57 | 59 | 25 | — |
| 4. | Mohindergarh | 916 | 381 | 400 | 636 | 198 | — |
| 5. | Rewari | 284 | 47 | 100 | 492 | 160 | — |
| 6. | Hisar | — | — | 47 | 72 | 64 | 8 |
| 7. | Sirsa | — | — | — | — | 5 | — |
| | Total | 2010 | 879 | 1231 | 2170 | 1176 | 162 |

ANNEXURE—III
(Rs. in lacs)

| Sr. No. | Year | Funds allocated | Amount utilised | Amount surrendered |
|---------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | 1991-92 | 50.00 | 43.04 | 6.96 |
| 2. | 1992-93 | 151.08 | 144.99 | 6.09 |
| 3. | 1993-94 | 30.50 | 6.48 | 24.02 |

चौधरी श्रीम प्रकाश वेरी : अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के दक्षिणी भाग में आबपाली के लिये पानी की बहुत किलत है और सरकार ने बिजली के तीन गुणा रेट्स बढ़ाकर यह किलत और बढ़ा दी है। इन हालात को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने पर सरकार कितना सेल्ज टैक्स ले रही है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके तहत किसानों को स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने पर सेल्ज टैक्स की छूट हो सके? राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने ऐसा ही किया हुआ है।

इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिये जो सबसिडी एलोकेट की गई है उसका व्यौरा उन्होंने अनुसंधानक - III में दिया है। इसके मुताबिक 1991-92 में 6.96, 1992-93 में 6.9 और 1993-94 में 24.02 लाख रुपये की राशि सरण्डर की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण हैं? जो किसान सबसिडी से वंचित रह गये हैं, क्या उन को सरकार वह सबसिडी की रकम देने के लिये तैयार है, अगर तैयार है तो यह रकम कब तक किसानों को दी जाएगी? कहीं सबसिडी न देने का यह कारण तो नहीं है कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर व स्ट्राइक सायल कंजरवेशन आफिसर के बारे में झगड़ा है जिस की वजह से सबसिडी किसानों को नहीं दी गयी हो? क्या इस बात में कोई सच्चाई है, इस बात को मन्त्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वेरी साहब ने कही सवाल एक साथ ही कर दिए। पहला सवाल तो उनका सेल्ज टैक्स से संबंधित है। सेल्ज टैक्स के बारे में पहले ही किसी सवाल के जवाब में एक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर महोदय ने बतला दिया है। अगर कोई रिप्रेजेन्टेशन इस बात पर आ जाएगी तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है। यहां सरकार का न मानते का सवाल ही नहीं है। जहां किसान का इंट्रस्ट इन्वाल्व होगा, उसको सरकार ओपन माइन्ड से लेगी, सरकार इस बारे में न कभी रिजिड रही है और न रहेगी। मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि जहां पर किसान का इंट्रस्ट इन्वाल्व होगा वहां सरकार हर प्रकार से उसकी मदद करेगी। अगर कोई रिप्रेजेन्टेशन आयेगी तो उसे एग्जामिन किया जा सकता है। इस के साथ ही यह भी बता दें रेट आफ सेल्ज टैक्स क्या है? यह तो एक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर बता सकते हैं लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 7-8 परसेंट होगा। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि जो फैज मिलते हैं वे ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं हुए। इसमें कुछ फैज स्टेट गवर्नर्मेंट से भी आते हैं और कुछ सेटल गवर्नर्मेंट से आते हैं। स्टेट गवर्नर्मेंट के फैज तो तकरीबत सारे यूटिलाइज हुए हैं क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। इसके तहत सबसिडी स्माल कार्मर को भी दी जा सकती है और बड़े कार्मर को भी दी जा सकती है। जो व्यक्ति एप्लाई करेगा उसको कंसिडर किया जा सकता

[श्री हरपाल सिंह] है। लेकिन सैट्रल गवर्नर्मेंट से जो फ़ण्ड आते हैं उस पर कुछ कंडीशन लगी हुई होती है। जैसे आपने स्माल फार्मर को, भाजिनल फार्मर को या पलसिज या आयन सीड और करने वाले को देने हैं। इसकी बजह से 24 लाख रुपया सरैंडर हुआ क्योंकि किसी फार्मर से ये शर्तें फुल फिल नहीं कीं, इसका कारण यह है कि सबसिडी तो कुछ परसैट ही मिलती है। अगर अढाई एकड़ वाले फार्मर को कहा जाए कि आप कुछ परसैट ही मिलती है। अगर अढाई एकड़ वाले फार्मर को कहा जाए कि आप सबसिडी ले लो और बाकी का पैसा अपने पास से लगाओ तो वह नहीं लगा सकता। कर्ज करो फब्बारा सैट बीस हजार रुपए का आता है और उस पर छोटे किसान को 4-5 हजार रुपए सबसिडी दी जाती है लेकिन वह बाकी का 15 हजार रुपया अपने पास से नहीं लगा सकता। अब हमारी सरकार ने भारत सरकार से सिकारिश की है कि आप यह शर्त हटाएं जिसको वह एओ कर गए हैं। इस साल से उनकी पुरानी कंडीशन नहीं रही इसलिए अब सैट्रल गवर्नर्मेंट से आने वाला पैसा सरैंडर नहीं होगा। इस साल सारा यूटिलाइज हो जाएगा।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, लिखित उत्तर में अभी मन्त्री महोदय ने सरैंडर्ड अमाउंट कहा है। इसका मतलब तो यह है कि वह पैसा बापिस चला गया। वर्ष 1992-93 में 151 लाख रुपए एलोकेट हुए और 1993-94 में साढ़े तीस लाख और उसमें से भी 24 लाख रुपए बच गए। तो क्या कोई ऐसी नई शर्त थीं जो 1992-93 में लागू नहीं थी और 1993-94, में लागू की गई जिसकी बजह थीं जो 1992-93 में लागू नहीं थी और 1993-94, में लागू की गई जिसकी बजह से पिछले साल की एलोकेशन का पांचवा हिस्सा भी यूटिलाइज नहीं हो सका? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यहां आंकड़े दिए गए हैं वे केवल सात जिलों द्वारा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यहां आंकड़े दिए गए हैं वे केवल सात जिलों के हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया। इन सात में से भी सिरता में, 1993-94 में, केवल पांच सैट्स के आंकड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जगहों पर यह केवल पांच सैट्स के आंकड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जगहों पर यह किस स्कीम पापुलर क्यों नहीं हो पाई; उसके लिए विभाग क्या पग उठा रहा है? किस तरह से बाकियों को लाभ पहुंचाना है? जितनी अमाउंट सरैंडर की गई है तथा जितने कम लोगों ने इससे लाभ उठाना चाहा, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यह स्कीम फैल न हो जाए।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, सारे एरियाज एक जैसे नहीं होते। कई एरियाज में कैनाल बाटर ज्यादा है और पानी की कमी नहीं है। कई सैंडी एरियाज हैं जहां नीचे पानी कम है और वहां नहर का पानी नहीं है। तो इन सैट्रस की हैं जहां नीचे पानी कम है और वहां नहर का पानी नहीं है। जिस सैट्रस की है ज्यादा ज्यादा होती है। महेन्द्रगढ़, नारनील और भिवानी जिले में इसकी डिमांड एरियावाइज होती है। भिवानी जिले में तो सब से ज्यादा सैट लगे हुए हैं। बाकी ज्यादा जरूरत है। भिवानी जिले में तो सब से ज्यादा सैट लगे हुए हैं। जिस कुरुक्षेत्र और लिरसा में या किसी और जगह पर इनकी यूटिलिटी नहीं है। जिस कुरुक्षेत्र पर खुला पानी हो वहां इनकी जरूरत नहीं होती। डा० साहब को मैं बताना चाहता हूं कि सारी स्टेट का एरिया कुरुक्षेत्र जिला जैसा नहीं है, उनकी अपनी दिवकर चाहता हूं कि सारी स्टेट का एरिया कुरुक्षेत्र जिला जैसा नहीं है, इसीलिए मैं सैट्रस वहीं ज्यादा लगे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में ये सैट्रस पापुलर हुए हैं, इसीलिए मैं सैट्रस वहीं ज्यादा लगे हैं।

जहाँ इनकी जहरत थी। दूसरी बात इन्होंने यह पूछी कि 1992-93 में पैसा ज्यादा खर्च हो गया और बाद में थोड़ा हुआ। वर्ष 1992-93 में, स्माल फार्मर्स के लिए सैटल गवर्नमेंट से इसके लिए जितनी एलोकेशन आई थी, वह कुछ ज्यादा आई थी। उसमें कोई खास कंडीशन नहीं थी। जिस किसी फार्मर से सिप्रिकलर सैट के लिए एप्लाई किया, हमने उन सभी को पैसा दिया और वह सारा पैसा यूटिलाइज़ हो गया। वर्ष 1992-93 में जितने पैसे की एलोकेशन हुई, थी, उसके बाद उतनी नहीं हुई। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पैसा सरैंडर करने की बात की है, वह गलत कही है। सैटल गवर्नमेंट से जो फण्डज आते हैं वे सरैंडर नहीं होते, वे दूसरे साल में यूज हो जाते हैं।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, वर्ष 1991-92 में भिवानी जिले के 1134 किसानों ने सिप्रिकलर सैट्स लगाए, 1992-93 में 1451 लगाए लेकिन 1993-94 में यह संख्या घट कर 787 रह गई। इसी तरह से रोहतक जिले में वर्ष 1991-92 में 73 लगाए लेकिन 1993-94 में यह संख्या घट कर 25 हो गई। इसी तरह से रिवाड़ी जिले में वर्ष 1991-92 में 331 लगाए और 1993-94 में यह संख्या घट कर 160 रह गई। स्पीकर साहब, इससे साफ जाहिर है कि इस सरकार की किसान विरोधी नीतियाँ हैं, क्योंकि यह सरकार किसानों को कोई सहूलियत नहीं देना चाहती। मैं आपके माध्यम से इस तथाकथित किसानों की हमदर्दी सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यह संख्या घटती क्यों जा रही है, क्या सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पाती है ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, 1992-93 में सैटल गवर्नमेंट से स्पैशल ग्रांट आई थी और उस साल कुछ प्राईसिज बढ़ी थी, उसको कम्पनसेट करने के लिए एकदम सिंगल ग्रांट दे दी गई। उस साल सिप्रिकलर सैट्स के लिए एक करोड़ रुपए दिये गये थे। सिप्रिकलर सैट्स के लिए पैसा रेगुलर नहीं आ रहा है। एक साल में ग्रांट ज्यादा आ गई थी, इसलिए उस साल में सिप्रिकलर सैट्स ज्यादा लग गए। इस काम के लिए रेगुलर ग्रांट कभी नहीं आई।

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, हर साल सिप्रिकलर सैटल लगाने की संख्या घटती रही है, क्या सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पाती है ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, उसका कारण यह है कि यह स्कीम पापुलर हो गई। जब कोई स्कीम शुरू करनी होती है तो उसको परमोट करने के लिए सरकार को कुछ ज्यादा कनेशन देने पड़ते हैं। जब स्कीम पापुलर हो गई तो सोनों ने अपने रिसेसिज से भी सिप्रिकलर सैट्स लगा लिए। शुरू में जब कैमिकल फटीलाइजर आई थी, उसको यूज करने के लिए कोई किसान तैयार नहीं था, जबकि किसानों को फटीलाइजर फ्री दी जाती थी लेकिन जब उसका यूज होना शुरू हो गया

(6) 8

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री हस्तल सिंह]

तो अब किसान उसको खरीद कर यूज करते हैं क्योंकि अब वह पापुलर हो गई है। अब यह स्कीम पापुलर हो गई, इसलिए किसानों ने अपने रिसौर्सिज से और डॉयरेक्ट लोन ले करके सिपिकलर सैट लगाए हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1054

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी सूरज भान काजल सदन में उपस्थित नहीं थे)

Construction of Roads in HUDA Colony, Jind By-pass-Hansi

*1120 Sh. Amir Chand Makkar, Will the Chief Minister be pleased to state whether any complaint in regard to construction of sewerage and roads in HUDA Colony near Jind by-pass at Hansi was received by the Government in year 1993; if so, the action taken thereon?

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल) : जी हाँ। वर्ष 1993 में हांसी में जीन्द बाई पास के त्रिवेदीक हुड्डा कालोनी में शीवर तथा सड़कों के निर्माण के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है—

(क) संबंधित ठेकेदार पुर भविष्य में हुड्डा में निवादा देने पर/कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(ख) संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया गया था। कर्मचारी को दण्ड तथा अपील नियम के नियम-7 के अन्तर्गत चार्ज-शीट जारी की गई थी। जांच के पश्चात दण्ड के रूप में एक वाष्पिक वेतन वृद्धि भविष्य पर प्रभाव डालते हुए बन्द की गई थी।

(ग) ठेकेदार को वटिया कार्य के लिये कोई अदायगी नहीं की गई है।

(घ) जिस उप-मण्डल अभियन्ता के निरीक्षण में कार्य सम्पन्न हो रहा था, उसे तत्काल स्थानान्तरण कर दिया गया था।

श्री अमीरचन्द मवकड़ : मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस कालोनी के लिए जो सबस्टैण्डर्ड मैट्रिकल यूज किया गया था और जिस कारण नुकसान हुआ, क्या उस में नये सिरे से सीबर बगरा बना दिए गए हैं या नहीं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, नये सिरे से सारा काम करा दिया गया है। वहाँ के संम्पल टैस्ट कराये गये थे। 13 संम्पलों में से 11 पास थे दो फैल हो गए थे। नार्म्झ के मुताबिक 50:50 के हिसाब से रेती और सीमेंट लगना चाहिए था लेकिन उसने (ठेकेदार) दो हिस्से रेता और एक हिस्सा सीमेंट यूज किया था। इस सारे काम में 66999 हजार रुपये का नुकसान हुआ। यह एकम ठेकेदार की बकाया पेमेंट में से काट ली गई है, और संबंधित व्यक्तियों को एक महीने के अन्दर अन्दर प्लाट दे देंगे।

Installation of Thermal Power Plant in Palwal Sub-Division.

*1072. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Power be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a thermal power plant in Palwal Sub-Division; and
- if so, the time by which it is likely to be set up?

विजली भन्ती (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) वर्तमान समय में वैधानिक स्वीकृति और वित्तीय संसाधनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है इसके पश्चात निर्माण अनुसूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में जाना है कि पलबल सब-डिवीजन में सरकार एक विजली संयन्त्र लगाने जा रही है। सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि इस अमैल प्लाट को कलियर कराने में कितना समय लगेगा? दूसरा सवाल मैं यह जानना चाहता हूँ कि पलबल सब-डिवीजन के किस गांव से इस काम के लिये जमीन ले रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि जो जमीन ले रहे हैं, क्या वह उपजाऊ जमीन है या बंजर है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पष्टिकर साहब, नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी कलियरेस लेनी पड़ती हैं। फुल कलियरेस भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन से भी लेनी

(6) 10

हरिहराणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

पड़ती है, इसलिये इस में बक्त लगता ही है। दूसरी बात इन्होंने पूछी कि यह जमीन कहाँ पर ले रहे हैं, हम यह जमीन पलबल सब-डिवीजन के अन्दर चांदहट गांव में ले रहे हैं, यह रेसवे लाइन से कोई छः या साड़े छः किलोमीटर के फासले पर है। इस काम के लिए 1350 एकड़ जमीन एकवायर करते की योजना है। तीसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि जमीन उपजाऊ है या बजर, इस बारे में ये ही बता सकते हैं कि वहाँ की जमीन कैसी है। हाँ, हम उन किसानों को मार्किंटरेट पर मुआवजा देंगे।

श्री कर्ण सिंह इलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जातकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चांदहट गांव की जमीन बहुत उपजाऊ जमीन है। पलबल सब-डिवीजन में और भी कई गांवों की जमीन ऐसी है जहाँ पर पैदावार नहीं होती और नीचे का पानी भी खारा है जो खेती के उपयोग में नहीं आती। मैं यह भी जानता चाहता हूँ जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, क्या उनके बच्चों को थर्मल प्लांट में नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नौकरी में प्राथमिकता तो पहले से ही दी जाती है और अब भी दी जाएगी। इसके अलावा मैं अपने आनंदेवल मैंबर से यह जानता चाहूंगा कि इस इलाके में क्या कोई ऐसी जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं जो कम उपजाऊ हो, अगर ये ऐसी जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं तो बोर्ड वहाँ पर यह प्लांट लगाने के बारे भी विचार कर सकता है।

श्री सतवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछता चाहूंगा कि पानीपत थर्मल प्लांट लगाते समय खुखड़ाना, आसनखुर्द तथा सुलाना गांवों के किसानों की जमीन, जो एकवायर की गई थी, क्या उन के बच्चों को नौकरी देने में प्राथमिकता देने बारे विचार करेंगे, अगर हाँ, तो उनको कब तक नौकरी दी जाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : इस थर्मल प्लांट को लगे हुए बहुत बक्त हो गया है। 1985-86 में भी कुछ ऐसे लोगों को नौकरियाँ दी गई थीं। उसके बाद जब सम्पत्ति सिंह जी पावर मिनिस्टर, बने उस बक्त भी कुछ किसानों के बच्चों की नौकरियाँ दी गई थीं। अब तो नई भर्ती पर बैन लगा हुआ है, इसलिए फिल हाल इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। आप यह बताइये कि जिन लोगों की जमीन एकवायर की गई थी, पानीपत थर्मल प्लांट लगाते के समय बोर्ड के रैजोल्यूशन के मुताबिक जिन किसानों की जमीन एकवायर की गई थी, उनके बच्चों को जो नौकरियाँ दी गई थी, उनकी नौकरी से हटा तो नहीं रहे, क्योंकि 5-5 या 6-6 साल से बच्चे नौकरियाँ कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय में भी रहा हूँ। इस गवर्नर्सेट ने कभी भी किसी को नौकरी से हटाया नहीं है। नौकरी लगाने में कुछ दिक्षत ही सकती है क्योंकि नौकरियों की संख्या बहुत थोड़ी है जो खाली होती है। अध्यक्ष महोदय, विजली बोर्ड से किसी को हटाया नहीं जाएगा, मैं यह आश्वासन देता हूँ।

श्री राम रत्न : अध्यक्ष महोदय, यह जो यर्मल प्लांट लगाने के बारे में जो चान्दहट का जिक्र किया गया है, यह गांव मेरे हल्के में पड़ता है। इस प्लांट के लगाने से इस हल्के के किसान बहुत खुश हैं और वे इसके लिए जमीन देने के लिए भी तैयार हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जलदी से जलदी सरकार इस जगह को एकवायर करके प्लांट लगाए। मेरे माननीय साथी चौधरी कर्ण सिंह यह चाहते हैं कि यह विजली का प्रोजेक्ट वहाँ पर न लग सके और लोगों को कोई सुविधा न मिल सके। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह प्लांट लगाने के बारे में कब तक विचार करेंगे और यह कब तक कम्पलीट हो जाएगा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पष्टकर सर, हरियाणा सरकार विजली के लिए बहुत चिंतित है। बहुत सारे प्रौद्योगिक हाथ में लिये गये हैं और जलदी से जलदी इन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि पलवल सब-डिवीजन में कुछ ऐसी जमीन है जिस का ज्यादा उपयोग किसानों के लिए नहीं है। क्या विजली मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे फरीदान बाद जिले के जिलाधीश, पलवल सब-डिवीजन के विधायक, लालक समिति और जिला परिषद के सदस्यों की एक कमेटी बनायेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए जगह चुनने के बारे में विचार करेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम रत्न जी ने कहा है कि उस एरिया के लोग उस के लिए जगह देने को तैयार हैं। अगर कोई जगह वे उपलब्ध करवा सकते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। वे राम रत्न जी से बात करके उनको मना लें, हमें क्या ऐतराज हो सकता है।

Memorandum of understanding of Yamuna Water

*1091. Prof. Sampat Singh : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the memorandum of understanding regarding sharing of Yamuna Water signed between the representatives of five States in the month of May, 1994 has been notified; if so, the details thereof?

(6) 12

हरियाणा विद्वान् सभा

[13 मार्च, 1995]

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : (a) and (b) The MOU regarding allocation or surface flow of Yamuna has been signed by the Chief Ministers of the five basin states viz. Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi on 12 May, 1994 but has not yet been notified. The MOU cannot be put into operation till the establishment of the Upper Yamuna River Board for monitoring of regulation of supplies to the basin states.

प्रो० सम्पत्ति सिंह : स्पीकर सर, यह ऐश्रीमैन्ट 1954 का था और इसकी दो हजार तक रहना था।

श्री अध्यक्ष : आप स्पीच न दें बल्कि प्रश्न पूछें।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : स्पीकर सर, अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं स्पीच नहीं दूंगा, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप प्रश्न पूछें।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : स्पीकर सर, 1954 के ऐश्रीमैन्ट के मुताबिक हरियाणा और उत्तर प्रदेश केवल ये दो स्टेट्स ही यमुना के पानी का इलेमाल करेंगे। तो मेरा जगदीश नेहरा जी से सवाल है कि यह ऐश्रीमैन्ट सन् 2000 में खत्म होना था, लेकिन इस ऐश्रीमैन्ट को इतनी जलदी करने की इनकी क्या ज़रूरत पड़ गयी? इसमें दो स्टेट्स के बजाए पांच स्टेट्स को कंज्यूमर और बैनीफिशरीज कहाँ से बना दिया? स्पीकर साहब, 1954 के समझौते के मुताबिक टोटल पानी जो हमें मिलता था, उसमें से हरियाणा और यू० पी० को कितना मिलता था और आज इस समझौते के मुताबिक दोनों स्टेट्स को कितना कितना पानी मिलेगा?

चैंधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इस समझौते की ज़रूरत इसलिये पड़ी क्योंकि ताजेवाला बैराज 1873 का बना हुआ है। अब वह आउटड डेटिड हो गया है और किसी भी समय टूट सकता है। यह बहीं बैराज है जो डब्ल्यू० जे० सी० में पानी ले जाता है। स्पीकर सर, 1978 में जब सात लाख क्यूसिक पानी यमुना में आया तो वह बैराज बहुत ज्यादा क्रैक हो गया। अब वह रिपेयर की स्थिति में भी नहीं है, उसकी फाउंडेशन को खोल कर रिपेयर किया जाए, इसलिए यह ज़रूरी हो गया है कि अदि ताजेवाला हैडवर्क्स टूट गया तो किस ढंग से उसकी रिप्लेसमैंट की जाए या क्या इसाज किया जाए? जब तक यह समझौता हमन करते तब तक हथनी-कुँड बैराज बनाने की इजाजत भारत सरकार नहीं दे रही थी और न ही सी० डब्ल्यू० कुँड बैराज बनाने की इजाजत भारत सरकार नहीं दे रही थी और न ही सी० डब्ल्यू० द्विए दस करोड़ रुपये की मशीनरी खरीदी हुई है। आज 16 साल हो गए हैं, उस मशीनरी को पढ़े हुए, वह खराब हो रही है। आज उसकी कीमत सौ करोड़ रुपये की है। इसके अलावा, जैसा भाखड़ा ढैम बना है, इसी तरह से रेणुका और किशोर

डैमों से पानी ज्यादा आएगा जो गम्भियों में और सदियों में नहीं आता। इस स्टोर के बजाने से पानी का फलो रेगुलेट हो सकेगा, जैसा भाखड़ा में है। इसी तरह से दाढ़पुर शाह नलची नहर है, उसमें भी पानी आएगा। इसी तरह से गुडगांव कैनाल का पानी भी ऐश्वोर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू० जे० सी० की कैपसिटी करोब 14 या 16 हजार क्यूसिक है लेकिन अब इसकी कैपसिटी को 28 हजार क्यूसिक तक करने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 28 हजार और 16 हजार क्यूसिक में 12 हजार क्यूसिक का अन्तर है। स्पीकर साहब, जब जमुना में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी हम रिचार्जिंग के लिए ऐसे परिया में ले जा सकते हैं जहां पानी की कमी है। और भी इस तरह की बहुत सी स्कीम्ज हैं जिनकी स्वीकृति भारत सरकार नहीं दे रही थी इसी कारण हमें यह ऐश्वीर्मेंट करना पड़ा है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट की बजह से यह ऐश्वीर्मेंट काफी सालों से लम्बित पड़ा हुआ था। इसरे, इन्होंने यह कहा कि इस समझौते में पांच स्टेट्स आ गयी हैं। स्पीकर सर, इससे पहले भी चार स्टेट्स इसका पानी इस्तेमाल कर रही थीं, जैसे हिमाचल से पानी आ रहा है और वह भी इसका प्रयोग कर रहा है इसी तरह दिल्ली इसका पानी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से ओखला-फल्ड का पानी भी राजस्थान में जाता है। स्पीकर सर, हृद्यमन-दैरियन प्रारंभ पर भारत सरकार ने यह पौलिसी बना दी है कि जो पीने का पानी है, वह इरीगेशन के पानी से पहले दिया जाएगा। आज दिल्ली की पौलुलेशन बढ़ रही है। इसलिये उसको पानी की बड़ी जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह समझौता पांच स्टेट्स में किया गया है। स्पीकर साहब, राजस्थान बेसिन स्टेट है। यह एक इंटरनेशनल पौलिसी है कि जो बेसिन स्टेट है, वे पीने के लिए नदी के पानी को इस्तेमाल करें। यह नैशनल पौलिसी है। स्पीकर सर, राजस्थान का भरतपुर का जो एरिया है, वह यमुना के बेसिन में पड़ता है इसलिए उनका भी इस पानी पर राइपेरियन राईट हो गया। इस तरह ये पांच स्टेट्स इस एश्वीर्मेंट में आए। इनका तीसरा सवाल यह है कि इस ऐश्वीर्मेंट में पानी का बंटवारा किस तरह से हुआ? हमारे साथी इस बारे में काफी शोर मचा रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। स्पीकर सर, ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 1954 में इस बारे में जो समझौता हुआ था, वह यू० पी० और पंजाब गवर्नर्मेंट के साथ हुआ था। उस समय इसमें पानी दस हजार क्यूसिक था और 2/3 और 1/3 की रेशे से पानी बंटवारा हुआ था। उस समय उस समझौते में ओखला का कहीं पर जिक्र नहीं था केवल ताजेवाला के बारे में जिक्र था। लेकिन अब यह फैसला हुआ है कि इस समझौते में ओखला भी साथ रहेगा। स्पीकर सर, ओखला में हमारी आगरा और गुडगांव कैनाल भी हैं और राजस्थान को पानी गुडगांव कैनाल से ही जाना है। तब ताजेवाला में पानी 1/3 और 2/3 था लेकिन आज ओखला में पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है, वह 1/4 हरियाणा कर रहा है और 3/4 य० पी० कर रहा है। तो स्पीकर सर, 3/4 एवं 1/4 और 2/3 एवं 1/3 की किरण में अन्तर आ जाता है। यह टीटल फिर्ज है इसी लिये ये लोग कह रहे हैं और बैठक की बात कर रहे हैं। स्पीकर सर, जितनी चिन्ता हरियाणा की इनको

(6) 14

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[चौधरी जगदीश नेहरा] है, उतनी ही चिन्ता हरियाणा की चौ० भजन लाल और कांग्रेस पार्टी को भी है। यह कह रहे हैं कि समझौता गलत हुआ है जबकि मैं कहता हूँ कि कोई गलत समझौता नहीं हुआ है। हरियाणा की सारी बातों को देखते हुए ही यह समझौता किया गया है। पानी का जो मैक्सिमम थूटिलाइज़ेशन हुआ है, उससे भी ०.५ बी० सी० एम० ज्यादा पानी लिया गया है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि गलत समझौता हुआ है। स्पीकर सर, इनके पास दूसरा तो कोई और मुद्दा है नहीं, इसीलिए ये ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आगला सवाल होगा। कादियान साहब आप अपना सवाल पूछें।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : स्पीकर सर, यह नहीं चलेगा। सरकार इस तरह से नहीं बच सकती मैंने अभी इस बारे में अपना सबाल पूछा है। We will not allow to kill this question. सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपने गवर्नर एड्युस पर भी बोला है और बजट पर भी इस बारे में बोला जाएगा।

Prof. Sampat Singh : Kindly allow me to ask one more supplementary otherwise, we will not tolerate it.

इसको कर्तृरिकाई किए बिना सरकार आगे नहीं चलेगी। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं जबकि हित तो इनको गुजरात और महाराष्ट्र ने बता दिया है और आगे हरियाणा भी इनको हित की बात बता देगा। अगर इनको प्रदेश को नष्ट करना है तो कर लें। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब देते हुए मैंने यसना समझौता के बारे में 15 मिनट तक डिटेल से बताया है। ये अब फिर बजट स्पीच में इसी सबजेक्ट पर बोल लेंगे और हमें फिर जवाब देना पड़ेगा। नेहरा साहब ने भी डिटेल में इसका जवाब दिया है।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : इन्होंने तो अपना वर्णन बताया है।

चौधरी भजन लाल : लेकिन 15 मिनट तक मैंने हाउस को इसी प्रायर्ट के बारे में बताया है।

श्री धीरपाल सिंह : यूँ ही राय कहानी पढ़ी है, जवाब नहीं दिया है।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : स्पीकर सर, नेहरा माहबूब ने सबाल का जवाब देते समय अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। मेरा सबाल यह था कि यह समझौता इन्होंने क्यों साईन किया ? जो जवाब आपने दिया था, मैं उसी में से सबाल पूछता चाहता हूँ। जवाब दिया था कि ताजेवाला पर हैडवर्स, पुराने हो गए थे और हथनी-कुण्ड बैराज बनाना था। इसके अलावा किसाऊ और रेणुका डैम बनाने की बात भी कही है। यह जो आपका ऐग्रीमैट है, इसमें इन-स्टोरेज का कोई जिक्र नहीं है। न रेणुका डैम का, न किसाऊ डैम का और न इनका एम० ओ० य० साईन हुआ है। उसमें जिक्र नहीं है मैं मन्त्री जी से पूछता चाहता हूँ कि सरकार ने पहले शेयर देना क्यों मान लिया ? उससे पहले किसाऊ और रेणुका के एम० ओ० य० साईन क्यों नहीं हुए, पहले एम० ओ० य० साईन होने थे उसके बाद शेयर डिसाइड होना चाहिए था। इसी बात इन्होंने यह कह दी कि पांच स्टेट्स को पहले से पानी दे रहे थे एज ए मैटर आफ राईट, अब क्यों मान लिया है ? जो इन्होंने मानवता के आधार पर शेयर दिया, वह अलग बात थी। आप अलग-अलग सीजन के हिसाब से फ्लॉड का पानी राजस्थान को देते रहे हैं लेकिन ऐग्रीमैट में फ्लॉड का जिक्र नहीं है बल्कि अलग-अलग महीनों में, सीजनल पानी जुलाई से अक्टूबर, नवम्बर से फरवरी और मार्च से जून में, पानी इनका प्रावधान है। ये फ्लॉड के महीने नहीं हैं फ्लॉड तो जुलाई-अगस्त में आता है। आप तो राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली को 12 महीनों में पानी कम ज्यादा देंगे। आपने एज ए मैटर आफ राईट अलग-अलग सीजन में पानी देना कैसे मान लिया ? लोगों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर सर, दो तिहाई स्लैर एक तिहाई का शेयर देने की क्या गारंटी हीगी कि 11.983 पानी ज़रूर बेलेबल होगा। जैसे मूँख मन्त्री जी कह रहे हैं कि अब तक 4.2 बी० सी० एम० पानी हमने इस्तेमाल किया है, अब 5.73 बी० सी० एम० इस्तेमाल करेंगे। यह कोई स्टोरेज का पानी नहीं है, यह तो फ्लॉड है, बाढ़ आ गई तो पानी ज्यादा आ गया, बरना कम, बरसात ज्यादा आ गई तो ज्यादा पानी आ गया, बरना कम 11.983 की क्या गारंटी है ? पानी होगा ही नहीं तो कहां से इस्तेमाल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत्ति सिंह जी, आप संबाल पूछिए।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सबाल पूछ रहा हूँ। जो 1954 का ऐग्रीमैट था उसमें कैटगरिकली दिया हुआ है कि वह डेली बेसिज पर ऐग्रीमैट था। ताजेवाला से जो पानी चलेगा, उसका जितना फ्लॉड होगा, उसके हिसाब से डिस्ट्री-ब्यूशन मिलता था। अगर 10900 क्यूसिक पानी है, क्या आपको उसमें से 8400 क्यूसिक नहीं मिलता था ? क्या आज वह घटकर 47 प्ररसेट नहीं रह गया है ? इतना सैक्रीफाइज क्यों किया ?

(6) १६

हरियाणा विधान सभा

[१३ मार्च, १९९५

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इनका पहला क्वैश्चन यह है कि हमने एम० औ० य०० साइन होने से पहले, किसाऊ और रेणुका में जी डैम बनाने हैं, पहले उनको क्यों नहीं किया, पानी का शेयर पहले क्यों डिसाइड किया ? अध्यक्ष महोदय, पानी का घहले डिसाइड न करें तो यह कैसे पता चलेगा कि कितना स्टोरेज होगा, डैम की क्या कैपेसिटी बनाई जाए, कौन कितना खर्चा देगा, कौन सी एजेन्सी यह काम करेगी। जब तक पानी का शेयर डिसाइड नहीं होगा, डैम का कैसे डिसाइड करेंगे ? ऐसा सिस्टम नहीं है कि डैम का मामला पहले हो जाए और पानी का शेयर बाद में डिसाइड हो ।

प्र० सम्पत् सिंह : किसाऊ और रेणुका के एम० औ० य०० साइन हो गए क्या ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह अभी प्रौसेस में है ।

चौधरी भल्लू लाल : इनके बनाने का फैसला हो गया है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : दूसरा सवाल स्पीकर साहब, इन्होने हथनीकुण्ड बैराज से सम्बन्धित पूछा । मैं इनको बताना चाहता हूँ । (शोर)

प्र० सम्पत् सिंह : नेहरा साहब, हम तो शेयर की बात कर रहे हैं ?
(शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : सम्पत् सिंह जी, शेयर तो तभी मिलेगा जब डैम बनकर तैयार हो जाएगा । इस कारण से हमें सब से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं ।

(शोर) मेरी बात तो सुनिये । ताजेवाला हैड पटा नहीं 100 साल पुराना है, किसी टाईम भी दूट सकता है । इनकी सरकार 1978 में थी, उस समय इन्होने भी हथनी-कुण्ड बनाने के बारे में काफी कोशिश की थी । सारे प्रबन्ध हुए पड़े थे । मशीनरी बर्गरह आई पड़ी थी फिर ये वयों नहीं यह काम कर सके ? इसमें भैन हिडरेन्स यह थी कि पानी के बंटवारे का फैसला नहीं हो रहा था । हरियाणा के हितों की ध्यान में रखते हुए, अब सरकार को इस तरह के समझौते की जरूरत पड़ी

(शोर) । दूसरी बात 1954 का जो ऐश्रीमैन्ट था, उस बारे में भी कहा गया । ताजेवाला पर यमूना रिवर के पानी के बारे में जो ऐश्रीमैन्ट था, वह मैं पढ़कर सुना देता हूँ, जरा सुनने की कृपा करेंगे तो आपको सारी पीजीभन का पता चल जाएगा । ताजेवाला हैड वर्कस पर अगर 5890 क्यूसिक्स पानी होगा तो डब्ल्यू० वाई० सी० को 2/3—47 और ई० वाई० सी० को 1/3 पलस 47 क्यूसिक्स पानी मिलेगा इसी तरह से 5890 से 8790 तक का फलो होगा तो डब्ल्यू० वाई० सी० को ऐस्स 2010 क्यूसिक्स और ई० वाई० सी० को 2010 क्यूसिक्स पानी मिलेगा और जब पानी का फलो 8790 से 9280 होगा तो डब्ल्यू० वाई० सी० को 6790 और ई० वाई० सी० को ऐस्स—6780 क्यूसिक्स पानी मिलेगा और इसी तरह से अगर 9280

से 10900 क्यूसिक्स का ताजेवाला हैड वर्क्स का पानी का फलो होगा तो इव्वत् ०
बाई० सी० को एक्स-२५०० और इ० बाई० सी० को २५०० क्यूसिक्स पानी मिलेगा ।
टौटैलिटी में पानी की जो फलकचुएशन है, वह कई जगहों पर कम है और कई जगहों
पर ज्यादा है । नीशनल हैस जो दिये गये हैं, उनमें पानी २/३ से कम भी है और
२/३ से ज्यादा भी है । लेकिन अब १० हजार क्यूसिक्स से फालतू पानी हरियाणा
में आ जाएगा तो इससे कोई दिवकत नहीं होगी । इससे नीचे जो पानी जाएगा, टौटैलिटी
में यह लिखा हुआ है कि २/३ हिस्सा हरियाणा का और १/३ हिस्सा यू० पी० का है ।
तो इस टौटैलिटी को यदि हम देखें जैसा कि मैंने पहले ही कहा तो ताजेवाला २/३
और १/३ व ओखला का जो १/४, ३/४ है, उनको अगर हम जमा करेंगे तो किसी
में अवश्य ही फर्क पड़ेगा । और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हरियाणा को नुकसान
हुआ हो । ऐसा कर्तव्य नहीं है । (शोर)

प्र० संपत्ति लिहू : तीनों स्टेट्स का शेयर जब आपने ऐज ए मैटर आफ
राइट माना है वह शेयर किस का कम हुआ है ? (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : जैसाकि मैंने पहले बताया कि हिमाचल का जो ऊपर
से पानी आता है, उसको हम रोक नहीं सकते (शोर) उसका कितना ही पानी भी लो
तक आता है । कहों से भी पानी पर्मिंग करके कैचकूलेट कर सकते हैं कि वे कितना
पानी कहाँ से उठाते हैं और कितना पानी पर्मिंग से उठाते हैं और आगे कितना उठाएं
वयोंकि वह तो रिवर आफ बाटर है । उसका जो हिस्सा था, वह पहले ही था ।
बाकी बात रही दिल्ली के बारे में । उस बारे में, मैं बता देता हूं कि आज से ४०
साल पहले दिल्ली की जनसंख्या केवल ५ लाख हुआ करती थी और अब वहाँ की
जनसंख्या १ करोड़ के करीब हो गई है । उस बवत दिल्ली को पानी देते हैं और आज]
भी पानी लगातार दे रहे हैं । इस तरह से राजस्थान का राइपरियन स्टेट
का जो राइट है, जैसे भरत पुर और दूसरे एरियाज हैं जिसकी बजह से उनका पानी
का हक बन गया, जोकि इटरनेशनल रिकानाइज्ड फार्मूला है, उसके मुताबिक राजस्थान
को आथा । इसलिए यह कहना कि हरियाणा को पानी देने से नुकसान हुआ है, यह
ठीक नहीं है । पानी देने के लिए जो नाम्बर बने हुए हैं उसके तहत सब का संबंध
शेयर होगा ।

चौधरी बसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं । एक बात तो यह
है कि जब तक मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग सदन की टेबल पर नहीं रखा जा सकता,
तब तक यह नहीं कह सकते कि कोई बात है या नहीं । फिर सब से बड़ी बात यह
है जो मैं सुन्धय मर्ली जी से सबाल के जरिए पूछता चाहूँगा । वह यह कि राजस्थान
के राइपरियन राइट की बात तो नेहरा साहब ने कह दी कि वह पानी यमुना-नंगा
ब्रेसन में आता है लेकिन राजस्थान से जो चार नदियाँ सदियों से हरियाणा में आती
थीं, उनका पानी हरियाणा में आता था, तो क्या उस पर हमारा राइपरियन राइट

(6) 18

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[चौधरी बंसी लाल]

नहीं था । उन पर राजस्थान ने 30-35 बांध बना कर उनके पानी को रोक लिया । तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस पानी का फैसला होने से पहले मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान या दिल्ली को पानी देने पर दस्तखत क्यों किए ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पहले भी डिटेल में जबाब दिया था । आज मैं दौबारा बता देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, पीने के के पानी का जहां तक सवाल है, इस बारे में भारत सरकार ने नैशनल पालिसी बनाई हुई है कि जिन जिन स्टेट्स में पीने के पानी की दिक्कत है, उनको मानवता के आधार पर पीने का पानी देना है । पीने के पानी के तो लोग प्याउ भी लगाते हैं ।

चौधरी बंसी लाल : क्या यू.पी.ओर राजस्थान को ही पानी की ज़रूरत है ? हमें ज़रूरत नहीं है ? मेरा एक सैसिफिक सवाल यह कि राजस्थान से जो चार नदियों का पानी हरियाणा में आता था, उसके फैसले से पहले मुख्य मन्त्री ने दस्तखत क्यों किए ?

चौधरी भजन लाल : मानवीय आधार पर जो पानी दिया गया है, उसमें से यू.पी. का भी पानी कटा है और हरियाणा का भी कटा है तथा हिमाचल का भी कटा है । जिनके पास पानी था, उन्हीं के पानी में से योड़ा सा राजस्थान और दिल्ली को दिया है । आप जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर दिल्ली को दिया है । अप्रैल जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर 22 लाख लोग हरियाणा के बसते हैं । (विधान) यह पीने के पानी की बात है, लोग 22 लाख लोग हरियाणा के बसते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी हमने पानी कम नहीं तो प्याउ भी लगाते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी हमने पानी कम नहीं होने दिया । आज तक हमने 4 बी.० सी.० एम० के करीब पानी इस्तेमाल किया है और कभी भी इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया । अब हमें 5.23 बी.० सी.० एम० पानी मिलेगा और यू.पी. को 2.53 बी.० सी.० एम० मिलेगा । यानि हरियाणा को 2/3 और यू.पी. को 1/3 हिस्सा पानी मिलेगा ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मेरा एक पार्टीकुलर सवाल है कि राजस्थान से जो चार नदियों का पानी आता था, उसका हिस्सा लिए बगैर मुख्य मन्त्री जी ने इस समझौता पर दस्तखत कैसे कर दिए ?

चौधरी भजन लाल : यह बात ठीक है कि साहबों और छाणवती बगैर ही नदियों का पानी राजस्थान से आता था । पहले बाली गवर्नर्मेंट ने मैहरबानी की कि उसने मसानी बैराज बना दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ।

इन्होंने मसानी बैराज बनाना शुरू कर दिया और वह पानी एक फुट से फालतू नहीं चढ़ा ।

Mr. Speaker : That was constructed under the pressure of Govt. of India.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, जो साहिबी नदी है, उसको बाढ़ से सारी झज्जर तहसील बर्बाद हो गई थी। छांसा डैम बनाने से सारी झज्जर तहसील बर्बाद हो गई थी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज बनाने से गुड़गांव, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिले बर्बाद हो गए। यह इनको पार्टी की सरकार के कारनामों की बजह से हुआ।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, छांसा डैम बनाने से सारी झज्जर तहसील बर्बाद हो गई थी।

चौधरी भजन लाल : उसके बनाने से तो सारी स्टेट को बहुत फायदा था। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, 1978 में जो बाढ़ आई थी, उससे सारी झज्जर तहसील बर्बाद हो गई थी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब आप चौधरी बंसी लाल जी के सवाल का जवाब दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान सरकार के साथ यह भागला उठाया है और उन्होंने यह कहा कि हरियाणा के अन्दर आपसे पहले वाली सरकार ने मसानी बैराज बना करके गलत काम कर दिया।

चौधरी बंसी लाल : आपकी यह बात बिल्कुल 16 आने ठीक है कि उस सरकार ने यह गलत काम कर दिया और उस पर 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वह पैरे मिट्टी में मिल गए। आपने उस फैसले पर जो दस्तखत कर दिए, इसलिये आपने हमारा केस कमज़ोर कर दिया। यदि आप उस समय उस फैसले पर दस्तखत न करते तो उसके बारे में भी उसी समय हाथ के हाथ फैसला हो जाना था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में राजस्थान सरकार से हमारी बात जारी है। उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने ऐसा कोई बोध नहीं बनाया जिससे हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान होता है। अगर किसी बांध से हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान होता है, तो हम उस बांध को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे आप आ जाएं और चाहे आप मंत्री को भेज दें। इस बारे में बात कर लेंगे। इस समय राजस्थान प्रदेश के सूखे भवी राम बिलास शर्मा जी की पार्टी के हैं। वे बहुत सोनियर लोडर हैं और वहुत अच्छे आदमी हैं। वे हमेशा जायज बात करते हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : चौधरी साहब, 23 तारीख को चल पड़ते हैं। मैं भी आपके साथ चल पड़ूँगा।

(6) 20

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

चौधरी भजन लाल : 23 तारीख को तो अपना संशन है। उस दिन कैसे जा सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल : 23 तारीख को संशन मूलतः कर लेते हैं आप जयपुर जाएं और उन बांधों के बारे में फैसला कर लें।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, जयपुर जाने से काम नहीं चलेगा। उनको तो मौक पर जा कर देखना पड़ेगा। हमारे आफिसर्जी भी होंगे और राजस्थान सरकार के भी आफिसर्जी होंगे और सभी वहाँ भीके पर जा कर देखेंगे।

चौधरी बंसी लाल : चौधरी साहब, जिस समय आपने जमना तदी के पानी के बारे में हुए फैसले पर दस्तखत किए, यदि आप उसी समय अड़ जाते कि उन बांधों के बारे में भी आज ही फैसला हो जाए तो उस समय भारत सरकार को मजबूर हो कर इस बारे में कोई बात तय करनी पड़ती लेकिन आपने उस समय इस बारे में पूरी तरह से लड़ाई नहीं लड़ी।

चौधरी भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी, आप जानते हैं कि ताजेवाला हैड बर्क्स का कितना बूरा हाल हो गया था। यदि 1988 जैसी बाढ़ आ जाए तो वह सारा हैड बर्क्स पानी के साथ बह जाएगा। एक बुंद पानी हरियाणा प्रदेश की तरफ नहीं आ सकता और सारा पानी यू०पी० को चला जाएगा। हथिती कुण्ड बैराज बनाने के बारे में फैसला हो गया है। उसके लिए टैंडर काल कर लिए हैं और पांच अप्रैल को टैंडर खोलने जा रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान सरकार ने बांध बांध रखे हैं, उसके बारे में हम राजस्थान सरकार से बात करेंगे ताकि उस बारे में कोई हल हो जाए। हम राम विलास शर्मा जी की भी इस मामले में सहायता ले लेंगे।

प्रो० राम विलास शर्मा : हम तो आपकी गुजरात में भी सहायता करेंगे, महाराष्ट्र में भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे।

चौधरी भजन लाल : बिल्कुल ठीक बात है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में राजस्थान सरकार से बात करेंगे इस बारे में हरियाणा प्रदेश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या ज्यादती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हरियाणा प्रदेश के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम सामने बैठे बिरोधी पक्ष के भाईयों की सरकार की तरह हरियाणा के हित बैठने वाले नहीं हैं। जमना नदी के पानी का फैसला एक शानदार फैसला हुआ है। आपको पता होगा यह मामला 24 साल से लटका हुआ था। वह बहुत अच्छा फैसला हुआ है।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (6) 21

नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

Transformers

*1104. Shri Satbir Singh Kadian : Will the Minister for Power
be pleased to state—

- the total number of transformers of different capacity with the H.S.E.B. as at present;
- the total number of transformers in working order out of the transformers as referred to in part (a) above; and
- the total number of transformers lying in different workshop of H.S.E.B. for repair?

बिजली सम्बन्धी (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) दिनांक 31-1-1995 की समाप्ति तक बोर्ड में लगाये गए वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्षमता | स्थापित किए गए ट्रांसफार्मरों की संख्या |
|------------------------|---|
| 15/25 के 0वी 0ए० | 26764 |
| 40/50 के 0वी 0ए० | 5907 |
| 63 के 0वी 0ए० | 30641 |
| 75/84 के 0वी 0ए० | 59 |
| 100 के 0वी 0ए० | 22043 |
| 150/160 के 0वी 0ए० | 136 |
| 200 के 0वी 0ए० | 1878 |
| 250 के 0वी 0ए० | 248 |
| 300 के 0वी 0ए० | 134 |
| 400/500 के 0वी 0ए० | 492 |
| 630/750/800 के 0वी 0ए० | 132 |
| 1000 के 0वी 0ए० | 105 |
| 1500/1250 के 0वी 0ए० | 6 |
| योग | 88545 |

(6) 22 हरियाणा विधान सभा [12 मार्च, 1995]

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

(बी) 147 नं० द्रांसफार्मर जोकि बदलने के प्रक्रिया के अन्तर्गत थे को छोड़कर जिन द्रांसफार्मरों के विषय में ऊपर बताया गया है वे सभी द्रांसफार्मर कार्य करने की स्थिति में हैं।

(सी) जनवरी, 1995 की समाप्ति तक विभिन्न क्षमताओं के 21450 द्रांसफार्मर वर्कशाप में पड़े हुए थे।

Supply of water through Canal

*1149 Shrimati Chandrawati : Will the Minister for Public Health be pleased to state the number of time the water for drinking purpose has been supplied through canal to the water works of Mithi during the period from 1991 to date togetherwith the number of villages being feeded by the said works ?

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

(क) 1991 से अब तक नहरी पानी 11 बार प्राप्त हुआ। इस जलधर से 4 गांव व एक डाणी लाभान्वित है।

Expenditure Incurred on the Construction of Bridge on Yamuna Canal

*1166 Shri Saraj Mal : Will the Minister for PWD (B & R) be pleased to state the total expenditure incurred on the construction of a bridge on Western Yamuna Canal near Karna Lake, Karnal, togetherwith the amount of toll tax received by the Government so far, alongwith the period for which the toll tax is likely to remain into force ?

लोक निर्भाय मन्त्री (श्री अमर सिंह) :

क्योंकि यह पुल राष्ट्रीय उच्च मार्ग—I पर पड़ता है। अतः इस पुल का निर्माण भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय की तरफ से किया गया है।

पुल निर्माण पर किया गया खर्च निम्न है—

| | |
|-----------------|------------------|
| (I) मुख्य पुल | 385.58 लाख रुपये |
| (II) पहुच मार्ग | 42.61 लाख रुपये |
| कुल | 428.19 लाख रुपये |

भारत सरकार द्वारा बनाये गए राष्ट्रीय उच्च मार्ग संशोधन एकट-1977 के अन्तर्गत मार्ग का कर बसूल किया जा रहा है। इस एकट के अन्तर्गत सभी पक्के पुल जिनकी लागत 100 लाख रुपये से ऊपर हैं तथा जिन्हें 1-4-76 अथवा उसके बाद में यातायात के लिये खोला गया है, पर मार्ग कर बसूल करना है।

28-6-94 से 28-2-95 तक 1.93 करोड़ रुपये की राशि पुल के मार्ग कर की बसूल की गई है।

जिस तिथि तक पुल की पूरी लागत व्याज एवं रख-रखाव तथा मुरम्मत सहित बसूल हो जाएगी, मार्ग कर बद्ध कर दिया जायेगा।

Link-Road

*1167 S. Jaswinder Singh : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to link the village Baigaon and Takoran of district Kurukshetra by metalled road ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह)

- (i) गांव बिचारांव (जो कि बजगांव के नाम से भी जाना जाता है) पहुंच सड़क पर स्थित है।
- (ii) गांव टकोरन को पहुंच सड़क देने वारे कोई प्रस्ताव नहीं है।

Repair of Damaged Roads

*1173 Shri Daryao Singh : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads :—
 - (i) Jhajjar to Farukh-Nagar ;
 - (ii) Jhajjar to Kosli ; and
 - (iii) Jhajjar to Rewari.
- (b) If so, the time by which roads as above are likely to be repaired ?

(6) 24

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

लोक नियमि मंत्री (श्री अमर सिंह) :

(क) क्रम संख्या (1), (2) तथा (3) की सङ्को पर पैच कार्य (मरम्मत)

कर दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

Shrimati Chandrayati : On a point of order, Sir. *

Mr. Speaker: Please take your seat, Nothing is to be recorded.

What is said without my permission, nothing should be recorded.
(Noise & Interruptions).

Chandri Om Parkash Chautala : Sir * * * *

Mr. Speaker : Please take your seat. I am quoting Chapter XX, Financial Business of the Rules of procedure & Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly as under :—

"188. The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as "the Budget") shall be presented to the Assembly on such day as the Governor may appoint.

"189. On the day fixed on business other than the presentation of the Budget and the asking of questions and the giving of replies there to shall take place except with the consent of the Speaker."

There shall be no zero hour today except the presentation of budget.

रूलिंग रिजर्व रखना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have to inform the House that a ruling was to be given by me today on the point of order raised on 10th March, 1995 while the Hon'ble Chief Minister was replying to the debate on the Motion of Thanks on the Governor's Address. The matter is still under my active consideration. Hence the ruling on the aforesaid point will be delivered tomorrow.

*Not recorded as ordered by the chair.

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Now, leave of absence of Shri Nirmal Singh, M.L.A., shall be taken up.

Hon'ble Members, I have received a registered letter from the Superintendent, Central Jail, Ambala forwarding the application of Shri Nirmal Singh for leave of absence from the House, which is as under :—

"This is just to inform your goodself that I may kindly be exempted from the presence during current Vidhan Sabha Session as I am confined in Judicial Custody in Ambala Central Jail."

Question is—

That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted to the member.

Votes : Yes, Yes.

The motion was carried.

वर्ष 1995-96 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget for the year 1995-96.

विजय सन्दी (श्री मानो राम गुप्ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामथ सदन के सामने वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूँ।

2. केन्द्र में वर्ष 1991 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सरचनात्मक तथा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ की थी। शुरू में इन सुधारों का कुछ विरोध हुआ, लेकिन अब राष्ट्र ने इन्हें बहुत अपना लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इनकी प्रशंसा हुई है। निजीकरण की बढ़ती भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया तथा भूगतन की स्थिति के बेहतर होने से हमारी अर्थव्यवस्था में नवीनीत का संचार हुआ है। निवेशकों से भारत में दिलचस्पी दिखाई है और उद्योग भी मंडी से उबर रहा है। केन्द्र सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने तथा संदार्भ पर विधान के उपायों के बीच उचित सम्झौता बनाये रखा। यह वर्ष के दौरान राष्ट्र ने एक नई आर्थिक जागिर व स्थिरता इसिल की।

हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण 1994-95

3. राज्य की अर्थव्यवस्था यह वर्ष की बद्धाओं से निश्चित रूप से उबर रही है। 'हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 1994-95' की प्रतियोगी माननीय सदस्यों को बांटो जा चुकी

[श्री मंगे राम गुप्ता]

हैं। इसमें गत वर्ष के दौरान राज्य की समूची आर्थिक स्थिति पर प्रकाश ढाला गया है। मोटे अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान स्थिर मूल्य (1980-81) के आधार पर राज्य की आय में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह आय वर्ष 1992-93 में 5818 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 6065 करोड़ रुपये हो गई है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर यह आय वर्ष 1992-93 में 15644 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1993-94 में 18057 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के निवल बरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में वर्ष 1993-94 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों के योगदान में क्रमशः 1.9 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है।

4. वर्ष 1993-94 में स्थिर मूल्यों (1980-81) के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 3479 रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1992-93 में यह आय 3411 रुपये थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार यह आय वर्ष 1992-93 में 9171 रुपये के मूकावले 1993-94 में 10359 रुपये हो गई है।

5. केन्द्र सरकार द्वारा कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयत्नों के फलस्वरूप अखिल भारतीय अभिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) मार्च, 1993 में 243 से 9.9 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 1994 में 267 हुआ। उसके बाद यह 9 प्रतिशत बढ़कर नवम्बर, 1994 में 291 हो गया। इसी प्रकार हरियाणा राज्य अभिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) मार्च, 1993 में 229 से 9.2 प्रतिशत दर से बढ़ कर मार्च, 1994 में 250 हो गया। इसके बाद 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ कर यह नवम्बर, 1994 में 272 हो गया।

6. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में वर्ष 1994-95 के दौरान और सुधार लाकर सुचारू बनाया गया। गैंग, आटा, चावल, चीनी, मिट्ठी का तेल, कपड़ा, खाद्य तेल जैसे नियंत्रित पदार्थ उचित मूल्य की 4728 ग्रामीण तथा 2488 शहरी दुकानों के नैटवर्क के भाग्यम से सप्लाई किये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1994 को की गई घोषणा के अनुसार अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के होस्टलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई किये जा रहे हैं।

7. वर्ष 1994-95 के राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार 294 करोड़ रुपये की राशि के सीधे पूँजी निर्माण का अनुमान है। इसके अतिरिक्त निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में पूँजी निर्माण में राज्य का योगदान 426 करोड़ रुपये है।

राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग

8. माननीय सदस्यों को विदित है कि संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार हारा राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और इन निकायों को राज्य निधियों के बंटवारे के बारे सिफारिशें करेगा। राज्य वित्त आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने और चुनाव प्रक्रिया की वेखरेख के लिये राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतों, खण्ड समितियों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव सफलतापूर्वक करवाये हैं। पिछड़े वर्षों और अनुसूचित जातियों को उपयुक्त प्रतिनिवित्व दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरपालिका की कुल सीटों और अध्यक्ष के पदों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिये आवक्षित है। इसमें अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये आवक्षण भी शामिल है। माननीय सदस्य मुझे से सहमत होंगे कि ऐसा करने से इन संस्थाओं के संचालन में महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त भागीदारी मिलेगी और इससे प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और सज्जूत होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के अधिकांश मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष मतदाताओं को भी शीघ्र पहचान-पत्र जारी कर दिये जाएंगे। हरियाणा ऐसा करने वाला देश का वहला राज्य है।

केन्द्रीय सहायता

9. भारत सरकार तथा कुछ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता योजना खंड के लिये एक मुख्य स्वोत है। केन्द्रीय करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों से किया जाता है। बालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 312.03 करोड़ रुपये रखा गया है जो नींवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। नींवें वित्त आयोग की सिफारिशों का तुकाव हरियाणा जैसे अधिक राजत्व वाले राज्यों की तुलना में घाटे वाले तथा पिछड़े राज्यों की तरफ़ रहा है। राज्य सरकार के नींवें वित्त आयोग के इस तुकाव के विशद विवरों वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गये अपने ज्ञापन में और आयोग के 22 जून, 94 की राज्य की राजधानी में आगमन पर, इस के समक्ष विशेष प्रकट किया। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान लागू होंगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है परन्तु इन सिफारिशों की योग्यता तभी की गई है। बहरहाल, केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के निर्देश के अनुसार वर्ष 1995-96 के बज़े अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 356.74 करोड़ रुपये रखा गया है।

10. सामान्य राज्य योजना सहायता का स्तर मुख्यमंत्री फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस फार्मूले में संग्र-समय पर राष्ट्रीय निकास-परिषद् द्वारा प्रियतंत्र

[श्री भग्नि राम गुप्ता]

किए जाते हैं। वर्तमान फार्मूला जनसंख्या; प्रतिव्यक्ति आय और वित्तीय प्रबन्ध जैसे अद्वैतपूर्ण घटकों पर आधारित है। नित्तीय प्रबन्ध के अन्तर्गत आधिक सहायता का निर्धारित रणनीज्य के कर प्रयासों, बाह्य सहायता प्राप्ति परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और निश्चित राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। इस सूचि के आधार पर जाल वित्त वर्ष के लिये निवल सामान्य राज्य योजना सहायता 187.02 करोड़ रुपये रखी गई है। माननीय सदस्यगण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि केंद्रीय सरकार ने रुपये रखी गई है। अपनी वित्त व्यवस्था सुचारू ढंग से कर रही है श्रीर वह अधिक कर्जे लेने की स्थिति में है। अतः योजना आयोग हरियाणा के लिये बाजार कर्ज वर्ष 1994-95 के लिये 5 करोड़ रुपये, 21 गांवों में आम विकास समितियों की परियोजना के लिये 2.09 करोड़ रुपये, आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी डृष्टि अनुसंधान एवं विकास प्रदर्शनी फार्म के लिये 2 करोड़ रुपये और शिवालिक विकास बोर्ड के लिये 1.25 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 1995-96 में सामान्य राज्य योजना सहायता के लिये 208.37 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

11. वित्तीय धार्दे को बढ़ाने से टोकने के लिये केंद्र सरकार ने बाजार कर्जों की सीमा सभी राज्यों के लिये समान रूप से वर्ष 1992-93 के स्तर पर स्थिर कर दी है। हरियाणा आपनी वित्त व्यवस्था सुचारू ढंग से कर रही है श्रीर वह अधिक कर्जे लेने की स्थिति में है। अतः योजना आयोग हरियाणा के लिये बाजार कर्ज वर्ष 1994-95 के लिये सहमत हो गया है। माननीय सदस्यगण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि राज्य ने अल्प बचतों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप 175 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को 225 करोड़ रुपये के अल्प बचत कर्ज प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 1995-96 में इसके लिए 250 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है।

वायिक योजना 1994-95

12. राज्य की वित्तीय स्थिति में भत्त वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में काफी सुधार हुआ है। आपदा राहत तथा स्थानीय तिकायों के चुनौत आदि मदों पर अप्रत्याशित व जहरी अंतिरिक्त खर्च के कारण हमारे द्वारों में काफी कमी हुई अराजकोष पर भारी बोझ पड़ा। तथापि, हमने बहुत किफायत की है और योजनेतर राजस्व खर्च को कम से कम रखने पर विशेष जोर दिया है। कुछ करों तथा शुल्कों में वृद्धि, जाटरी भें उल्लेखनीय सफलता व अल्प बचतों में अधिक निवेश के फलस्वरूप पर्याप्त अंतिरिक्त छोट उपलब्ध हो गये। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत सरकार द्वारा अंतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी गई। माननीय सदस्यगण यह जान कर प्रसन्न होंगे कि हमारे द्वारों पर पड़े अंतिरिक्त बोझ के बावजूद हम संशोधित वायिक योजना 1994-95 के

लिए 1030.33 करोड़ रुपये के अधिक बजट परिव्यय का प्रावधान कर सकते हैं जबकि आयोजना आयोग द्वारा मूल परिव्यय 1025.50 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया था। यह परिव्यय वार्षिक योजना 1993-94 के 805.93 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से 27.8 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजना 1995-96

13. विकास की गति को देख करता और समाज के सभी क्षणों के उत्थान के लिये रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, राज्य सरकार की प्रसुच नीति रही है। आठवीं अंचलवर्षीय योजना में घोषित उद्देश्यों की ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1995-96 की राज्य-वार्षिक योजना के लिये 1250 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को ऊंची प्राधिकता देती रही है। इसके लिये 456.38 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है; जो राज्य के कुल परिव्यय का 36.5 प्रतिशत है। विजली की कमी और इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विजली क्षेत्र के लिये 261.85 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, जो कुल परिव्यय का 20.9 प्रतिशत है। सिचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिये 248.36 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जो कुल परिव्यय का 19.9 प्रतिशत है। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों के लिये 89.64 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है; जो कुल परिव्यय की 7.2 प्रतिशत है। अन्य क्षेत्रों के लिये आवास इस प्रकार है—परिवहन के लिये 66.94 करोड़ रुपये (5.4 प्रतिशत), उद्योग तथा बूनियादि के लिये 56.29 करोड़ रुपये (4.5 प्रतिशत) और अन्य क्षेत्रों के लिये 70.54 करोड़ रुपये (5.6 प्रतिशत)। कुल योजना का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमें आशा है कि चरणबद्ध ढंग से किये गये इतने निवेश से न केवल आर्थिक विकास की गति को बढ़ाये रखते में अपितु इसे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

विजली

14. हमारी सरकार इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि राज्य के आर्थिक विकास के लिये विजली एक बुनियादी आवश्यकता है। विजली उत्पादन क्षेत्र, बढ़ा कर, विजली उत्पादन तथा इसकी वितरण प्रणाली में सुधार लाकर राज्य में पर्याप्त विजली उपलब्ध करवाने के गहन प्रयास किये जा रहे हैं। यमुनानगर में एक थर्मल प्लाट की स्थापना के लिये 25 जनवरी, 1995 को ईसाईल के आईजनबर्ग कम्पनी द्वारा के एक सदस्य, मैसर्ज थू.0डी.0आई.0 के साथ एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। रुज्य द्वारा पानीपत में 210 मैगावाट वाले छठे यूनिट के निष्पादन और हिसार में नवा थर्मल विजली संयंत स्थापित करने में सहयोग देने के लिये निजी विजली उत्पादकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य के सभी मुख्य आर्थिक नगरों में 70—100 मैगावाट

[संगी राम गुप्ता]

बोर्डीजल आधारित विजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिये भी निवी पाटियों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। राष्ट्रीय ताप विजली निगम भी फरीदाबाद में 400 मैग्नावाट वाला गैस पर आधारित विजली संयंत्र स्थापित कर रहा है।

15. हरियाणा राज्य विजली बोर्ड ने लाइन लासिज कम करने और विजली की चोरी रोकने के अपने संयंत्रों में विजली उत्पादन बढ़ाने के अनेक उपाय किये हैं। हरियाणा राज्य विजली बोर्ड के फरीदाबाद और पानीपत के विजली उत्पादन संयंत्रों में पर्याप्त सुधार हुआ है। विजली की चोरी रोकने के लिये उपभोक्ता-परिसरों की व्यापक तौर पर जांच-पड़ताल की जा रही है। बकाया विजली बिलों की बसूली के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया है और उपभोक्ता-परिसरों में ऐसे इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का प्रस्ताव है जिनसे विजली की चोरी न हो पाए। बोर्ड का वर्ष 1995-96 के दौरान 11,000 नलकूपों को विजली देने का लक्ष्य है।

16. चालू वर्ष के दौरान विजली की स्थिति नाचुक रही। तथापि कृषि तथा अन्य क्षेत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बोर्ड बाहर से काफी मंडगी विजली खरीद रहा है। अनिर्धारित केन्द्रीय पूल में से हरियाणा राज्य को 300 मैग्नावाट अतिरिक्त विजली अलाइ की गई है। कुल उपलब्ध विजली का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को रियायती दरों पर सप्लाई किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को भारी हानि हो रही है। चालू वर्ष के दौरान, बोर्ड को 234.84 करोड़ रुपये की कुल बाणिज्यिक हानि होने का अनुमान है। कौथले और तेल झेली बुनियादी इनपुटों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए और बाणिज्यिक हानि को अंशतः पूरा करने के लिये विजली की दरें बढ़ाना अनिवार्य हो गया था। इससे लगभग 170 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। तथापि, इस बात का ध्यान रखा गया है कि विजली दरों की वृद्धि का कृषि क्षेत्र पर कम से कम भार पड़े।

17. राज्य सरकार ने बोर्ड की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किये हैं। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान बोर्ड को कमश: 105 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपये की ग्रामीण विजलीकरण सबसिडी नकद अदा करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान 373.13 करोड़ रुपये के विभागीय बकाया ऊर्जा बिलों का निपटान कर दिया गया है। इससे बोर्ड की अपनी पूँजी पर नियमानुसार आधा हो सकेगी। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न विजली परियोजनाओं को लागू करने के लिये विजली वित्त निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सहायता ले सकेगा।

18. वर्ष 1995-96 में विजली क्षेत्र के लिये 261.85 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय रखा गया है।

सड़क संरचना

19. समूचे विकास तथा आर्थिक उन्नति में सड़क संरचना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सड़कों का नेटवर्क विशाल और मजबूत होना चाहिये। अतः हमने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने का संकल्प किया हुआ है। जून 1991 में हमारी सरकार बनाए पश्चात् सड़कों की मरम्मत तथा देखरेख, राष्ट्रीय राजमार्गों को चारमार्ग बनाने और नई सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। चालू वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरे उत्ताह से जारी रखा गया है। इसी कारण राज्य की सड़कें देश में सर्वोत्तम मानी जाती हैं। गत साल तीन वर्षों में 484 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है, विद्यमान 7538 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर नई परत चढ़ाई गई है और 831 किलोमीटर लम्बी सड़कों में सुधार किया गया है।

20. राष्ट्रीय राजमार्ग नं० १ पर मुश्तक से करनाल तक के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और 64 किलोमीटर लम्बी सड़क को चालू वर्ष के अन्त तक यातायात के लिये खोल देने की संभावना है। करनाल-अम्बाला भाग का कार्य जून, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बल्लबगढ़ से होड़ल तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० २ को चारमार्ग बनाने का कार्य जून, 1996 तक पूरा हो जाने का अनुभान है। गुडगांव से राजस्थान सीमा तक राजमार्ग नं० ८ को 177 करोड़ रुपये की लागत से चारमार्ग बनाने के लिये स्कीम का एशियन विकास बैंक ने अनुमोदन कर दिया है। बहादुरगढ़ से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० १० को चारमार्ग बनाने की परियोजना यहां परिवहन भवालप को भेज दी गई है। 450 करोड़ रुपये की लागत से 811 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा परियोजना बनाने और भूल्यांकन का कार्य चल रहा है। “विल्ड, आपरेट एंड ड्राइंसफर” आधार पर दिल्ली अम्बाला एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण के लिये भलेश्वर के मैसर्ज रेनांग के साथ वायबिलिटि स्टडी करने हेतु समझौता जापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

21. गत साल तीन वर्षों के दौरान 25 पुल, जिन में दो ओवर ब्रिज शामिल हैं, बनाये गये हैं। 16 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत के ओवर ब्रिज तथा जल्ला सड़क पर घमार नदी पर और नारायणगढ़-सड़ीरा सड़क पर मारकंडा नदी पर पुल भी शामिल है। रिवाझी और बल्लबगढ़ के दो ओवर ब्रिजों का कार्य 1995-96 के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है।

सिचाई

22. छुपि उत्पादन के निरन्तर विकास के लिये सिचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध करवाना एक बुनियादी आवश्यकता है। हरियाणा में भूमिगत जल लगभग समाप्त हो गया है। अब सिचाई का और अधिक विस्तार मुख्य तीर पर सतलज यमुना लिंक

[ओम आणे राम गुप्ता]

नहर और राज्य की जीवन रेखा है, के पूरा होने पर निर्भर करता है। हम केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार से सतलज-यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में आने वाले झाग के शीघ्र पूरा करने के लिये लगातार अनुरोध कर रहे हैं। आशा है कि इस नहर के पंजाब में आने वाले झाग पर निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा।

23. विश्व बैंक ने 1858 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली "जल स्रोत समेकन परियोजना" नामक एक नई परियोजना 6 वर्षों में पूरी करने के लिये स्वीकृति दी दी है। इस परियोजना के लिये योजना उपचार वर्ष 1994-95 में 105.87 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 में 180.50 करोड़ रुपये हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत पुरानी नहर प्रणाली की भरमत एवं आधुनिकीकरण, हथनी कुण्ड बैराज का निर्माण व अन्य जलनिकास प्रणालियों की मुख्य स्कीमें शामिल हैं। इस परियोजना के पूरा होने से ज्ञानपूर्ण 1.4 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। सिंचाई विभाग को रोहतक तथा हिसार में एक-एक जल सेवा यूनिट बना कर कार्य आधार पर पुरा गठित किया गया है।

24. द्वेसिन राज्यों में यमुना जल के विभाजन का मामला, जो गत 20 वर्षों से सूटका हुआ था, मई 1994 में परस्पर सुलझा लिया गया और पांच राज्यों के मुख्य भूमियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। हमने हरियाणा के हितों की पूर्ण रक्षा की है। भाननीय सदस्य जानते ही हैं कि एक साँवर्ष पुराना ताजेवाला हैल्डवर्क्स भारी बाढ़ों का सामना नहीं कर सकता और इससे राज्य में पश्चिमी यमुना नहर के पूरे सिस्टम तथा राज्य की जनता के लिये खतरा पैदा हो सकता है। विश्व बैंक की सहायता से हथनी कुण्ड बैराज के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। ज्ञाकी 3-4 वर्षों में पूरी हो जाएगी। इससे यमुना में बाढ़ के दौरान आजकल घट्ये जाने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

25. उपलब्ध जल स्रोतों को बढ़ाने के लिये विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नहरों और खालों को पक्का करने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। 31 मार्च 1994 तक 7066 किलोमीटर नहरों को पक्का करने का कार्य पूरा हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप 2440 क्यूसेक जल की बचत हुई है और इससे 226 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। वर्ष 1994-95 के दौरान नहरों के 1.58 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र को 33.40 करोड़ रुपये की लागत से पक्का किया जाएगा जिससे 85 क्यूसेक जल की बचत होगी व 9300 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र की सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

26. वर्ष 1994-95 के दौरान लघु सिंचाई के अन्तर्गत 366 किलोमीटर लंबाई 100 खलों को 20 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा, जिसमें 38.00

हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिचाई सुविधायें दी जा सकेंगी। वर्ष 1995-96 के दौरान 915 किलोमीटर कच्ची खालों पर 44.51 करोड़ रुपये की लागत से ब्रिक लाइनिंग का प्रस्ताव है। गुडगांव नगर को पेय जल सप्लाई करने के लिये एक श्रलग जलवाहक नहर को 36.43 करोड़ रुपये की लागत से जून, 1994 में पूरा किया गया है।

27. विभिन्न खालों तथा नालों के अन्तिम छोर तक किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिये उन से सिल्ट और धास-भात निकालने का कार्य प्रभावशाली तरीके से किया गया है।

28. वर्ष 1994 के मानसून के दौरान पंजाब के बाड़ के जल को सतलुज-यमुना लिंक नहर में छोड़ दिया गया, जिसके कारण हरियाणा में आने वाले नहर के हिस्से को क्षति पहुंची तथा अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों के क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ऐहतियाती कदम उठा कर सतलुज-यमुना लिंक नहर को होने वाली क्षति को तुरन्त नियन्त्रित कर लिया गया। किसानों की राहत देने के लिए निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वर्ष 1994-95 के दौरान क्षतिग्रस्त निर्माण-कार्य की मरम्मत आदि के लिये अपापद राहत निधि से 6.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

29. वर्ष 1995-96 के योजनागत परिव्यय में मुख्य तथा मध्यम सिचाई के लिए 178.95 करोड़ रुपये बाड़ नियन्त्रण तथा जल निकास के लिये 1.0 करोड़ रुपये, लघु सिचाई एवं नलकूप नियम के लिये 44.51 करोड़ रुपये व कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण के लिये 13.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि

30. राज्य के समूचे आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अधिकांश लोगों के लिये जीविका का साधन है।

31. हरियाणा ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब केवल अधिक उत्तरकों के बैज्ञानिक उपयोग, फसलों के संरक्षण उपायों, जल संसाधनों के उचित इस्तेमाल फसल पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन, किसानों को लाभकारी सूल्हों के रूप में प्रोत्साहन, सभय पर और अधिक कृषि की सुविधा देने और सामान्य रूप से बेहतर बैज्ञानिक तकनीक को लागू करने से खेती की पैदावार में और प्रगति संभव हो सकती है।

32. हरित कांति से हमने समृद्धि के युग में प्रवेश किया है और राज्य देश का “खाद्यान्न भण्डार” बन गया है। माननीय सदस्यगण को यह सुवित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हरियाणा गत चार वर्षों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों से कहीं अधिक खाद्यान्न केन्द्रीय पूल में देता रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिये नियत 27 लाख टन गेहूं के लक्ष्य के

(6) 34

हिन्दीयां विद्यालयों सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मार्ग दरम गुप्ता] वर्ष 1993-94 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 17 लाख टन के बीच 105.40 लाख टन के बीच था। योग्य खरीफ की फसल के लिये तिथत 9.50 लाख टन ज्ञावल के लक्ष्य के मुकाबले ज्ञाल वर्ष के अन्त तक 12 लाख टन से अधिक खावल प्रदिय जाने की सम्भावना है।

33. वर्ष 1993-94 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 102.83 लाख टन तक पहुँच गया। वर्ष 1994-95 के दौरान भी खाद्यान्न उत्पादन 107 लाख टन के लक्ष्य से बढ़ जाने की सम्भावना है। वर्ष 1995-96 के लिये 109.40 लाख टन खाद्यान्न, 9 लाख टन गन्ना (गड़), कपास की 1.5 लाख गांठें तथा 9 लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य लियत किया गया है।

34. एमहस्वपूर्ण कृषि इन्पुटों की सम्भावना के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान पर्याप्त क्षेत्रफल की गई है। लगभग 3 लाख किलोमीटर बीज बांटे गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान 6.90 लाख टन रासायनिक खाद तथा 5250 मीट्रिक टन पौधा संरक्षण सामग्री प्रयोग में लाए जाने की सम्भावना है। विभिन्न कृषि इन्पुटों तथा प्रयोगित बीजों, खरपतवार नाशकों, कीटनाशकों, छिड़काव सैटों तथा जिसम पर सबसिडी दी जा रही है। यह आर्थिक सहायता आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रखी जाएगी।

35. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें अधिक लाभ पहुँचाने के लिये फसलों की विविधता पर उचित बल दिया जा रहा है। गन्ना, कपास और तिलहन जैसी नकद फसलों की खेती में तेजी से बढ़ि हो रही है। राज्य में सूरज-मुखी की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। सौयादीन श्रीर राजमाह की खेती को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

36. कृषि क्षेत्र में असरदार बढ़ीतरी के लिये विभिन्न इन्पुटों की तकनीक में सुधार के साथ साथ मानव संसाधन विकास भी जरूरी है। विश्व बैंक की सहायता से अगले वर्ष “कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना” नामक नई परियोजना चलाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष है तथा वर्ष 1995-96 में इस पर 12.17 करोड़ रुपये का ब्यय होगा।

37. राज्य में विभिन्न एजेन्सियां भूमि सुधार कार्यक्रमों में लगी हुई हैं। 2000 हेक्टेयर खारी भूमि के सुधार की पायलट परियोजना नीदरलैंड सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। वर्ष 1994-95 व 1995-96 के दौरान प्रति वर्ष 25 लाख रुपये के आवंटन से इस परियोजना को दिसम्बर, 1994 से चलाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सौनीपत जिला में जवाहर लाल नेहरू नहर और कैथल जिला के कलायत क्षेत्र में भावड़ा नहर की सेम वाली और खारी भूमि में मशीनों से हारिजोंटल सब-सरफेस ग्रेनेज की तकनीक अपनाना है। इण्टरेटिड वाटर शैड विकास (पहाड़ी) परियोजना, कण्डी क्षेत्र भी अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों में शिवालिक पहाड़ियों की

तराई में समेकित विकास के लिये चलाई जा रही है। इस परियोजना के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान 5.30 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 6.10 करोड़ रुपये का परिव्यय है। बरानी खेत के लिये राष्ट्रीय बाटर शैड परियोजना तथा बाढ़ सम्भावित नदी धग्गर के कैचमैट खेत में इण्ट्रोटिड बाटर शैड स्थापना परियोजनाओं को वर्ष 1994-95 के दौरान क्रमशः 1.61 करोड़ रुपये तथा 0.97 करोड़ रुपये के परिव्यय से चलाया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के दौरान परिव्यय क्रमशः 2 करोड़ रुपये तथा 1.5 करोड़ रुपये होगा। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम रियायती दरों पर जिसमें देकर और भूमि को सभतन करके भूमि के सुधार का कार्य कर रहा है।

38. हरियाणा वैयरहाउसिंग निगम 11.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 105 भण्डारण चला रहा है। चालू वर्ष के अन्त तक इस क्षमता में 15000 मीट्रिक टन तथा वर्ष 1995-96 के दौरान और 15000 मीट्रिक टन की वृद्धि की जाएगी। केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा के आयातकर्ताओं को एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए रिवाड़ी में एक इनलैंड कंटेनर डिपो तथा कंटेनर फेट केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। 26 करोड़ रुपये की कुल लागत की यह परियोजना वर्ष 1995-96 में आरम्भ की जाएगी।

39. हरियाणा राज्य कृषि विषयन बोर्ड 100 भूख्य याड़ी, 175 उप-याड़ी तथा 135 खरीद केन्द्रों के माध्यम से कृनियादी कृषि विषयन सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान 6 और 15000 भण्डारण बन जाने की सम्भावना है। 17 और भण्डारणों के निमिंग का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। यह बोर्ड सीनीपत्र के निकट राई में 550 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक आधुनिक फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग कॉम्प्लैक्स विकसित कर रहा है। यह केन्द्र फलों और सब्जियों के लिए भण्डारण, प्रेडिंग, पैकिंग तथा प्रोसेसिंग की आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उनके विषयन को प्रोत्साहन देगा।

40. वर्ष 1994-95 के 23.99 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय के मुकाबले वर्ष 1995-96 के राज्य योजनागत परिव्यय में कृषि खेत के लिए 25.60 करोड़ रुपये का श्रावधान किया गया है।

बागवानी

41. किसानों की आय बढ़ाने, उच्च अतिरिक्त रोजगार जुटाने, पोषाहार की गुणवत्ता में तथा पर्यावरण में सुधार लाने के लिए बागवानी के विकास पर जोर दिया जा रहा है। फलों-सब्जियों, खुम्बी, फूलों के क्षेत्रों में तथा द्रिप सिचाई और पॉलीथ्रीन हाउस जैसी नई तकनीकों को शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को अच्छी तकनीकों की जानकारी देने के लिए एक अलग बागवानी निदेशालय स्थापित

(६) 36

हरियाणा विद्यालय सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मांगे राम गुप्ता]

किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप फलों और सब्जियों की काशत के अधीन सेव में चालू वर्ष तक कमशः 18261 हैक्टेयर तथा 80,000 हैक्टेयर की वृद्धि हुई है जबकि सम्पूर्ण उत्पादन में 1,35,000 टन और 12,30,000 टन की वृद्धि हुई है। खुम्बी तथा बाणिज्यिक फूलों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। वार्षिक बोजना 1995-96 में बागवानी के विकास के लिए 2.45 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

वाक आउट

इस समय सदन में उपस्थित जनता पार्टी के सभी भाजनीय सदस्य, बजट प्रस्ताव, उनकी संतुष्टि के अनुसार न होने के कारण विरोध करते हुए वाक-आउट कर गए।

वर्ष 1995-96 का बजट पेश करना (पुनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :-

पशुधन विकास

42. हमारा विश्वास है कि कृषि अर्थव्यवस्था के एकीकरण और मजबूती के लिए पशुधन का विकास बहुत अहम है। पशु अस्पतालों और डिस्पैसरियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से नस्ल सुधार, संतुलित भोजन और प्रभावी स्वास्थ्य रक्षा जैसे अतेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सात जिलों में “सघन पशु विकास परियोजना” कार्यान्वयन की जा रही है। सुअर, भेड़ और मुर्गीपालन के विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1995 तक पशुओं में रिणडरपेस्ट रोग का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा चुने गए राज्यों में से हरियाणा एक है। 546 पशु अस्पतालों, 808 पशु डिस्पैसरियों, 60 क्षेत्रीय कृषिम बीर्य सेचन केन्द्रों और 752 स्टॉकमैन केन्द्रों के बत्तमान पशु स्वास्थ्य नेटवर्क को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान 50 नयी पशु डिस्पैसरियां खोली जा रही हैं। 30 पशु डिस्पैसरियों का दर्जा बढ़ा कर अस्पताल बनाया जा रहा है व एक पालिकलीनिक खोला जा रहा है। आगामी वर्ष के दौरान 30 और पशु डिस्पैसरियों का दर्जा बढ़ाने, 50 नयी डिस्पैसरियां और एक पालिकलीनिक खोलने का प्रस्ताव है। पशुपालन के विकास के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 7.43 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का उपबन्ध किया गया है।

सहकारिता और उद्धार

43. माननीय सदस्यगण यह जानते ही हैं कि कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों को बढ़ावा देते में सहकारिता आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों और ग्रामीण कारीगरों की उद्धार सम्बन्धी आवश्यकताएं राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा पूरी की जा रही हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1994 तक लघु तथा छोटे औद्योगिक और व्यावसायिक यूनिट स्थापित करने के लिए 718,27 करोड़ रुपये के क्षेत्र-कर्जों और 54 करोड़ रुपये के गैर-कृषि कर्जों दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण कारीगरों तथा छोटे दुकानदारों को 50,19 करोड़ रुपये के तथा कृषि विकास के लिए 82,95 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के कर्जे दिए गए हैं। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करें कि हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगार जुटाने के लिए सहकारी परिवहन समितियां स्थापित की गई हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 753 सहकारी परिवहन समितियों को बाहनों की खरीद के लिए 34,60 करोड़ रुपये के कर्जे दिए गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान सहकारी नेटवर्क के माध्यम से लगभग 4,39 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद वितरित की गई है। वाष्पिक योजना 1995-96 में सहकारिता के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

उद्योग

44. माननीय सदस्यगण, आप इस बात से अवगत ही हैं कि उद्योग अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार है और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। हरियाणा ने कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने के बाद उद्योग के विकास में उत्तेजनीय कार्य किया है।

45. इस गरिमामय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे गर्व है कि भारत के राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा ने उद्योगीकरण के क्षेत्र में हरियाणा की उपलब्धियों की प्रशंसा की है। उन्होंने 12 फरवरी, 1995 को दिल्ली में 11वें भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हरियाणा ने औद्योगिक विकास में, विशेषतया इंजीनियरी क्षेत्र में, बहुत सफलता प्राप्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा ऐसा औद्योगिक बातावरण तैयार करने में अग्रणी रहा है जिससे निवेश के आगम को प्रोत्साहन मिला तथा उत्पादन में वृद्धि हुई।

46. भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये आर्थिक सुधार और राज्य की नई औद्योगिक नीति का उद्योगीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस समय हरियाणा में 679 बड़े तथा मध्यम औद्योगिक यूनिट और 1,24,472 लघु यूनिट हैं। इनसे

[श्री मांसे राम गुप्ता]

9,14,000 व्यवितयों को रोजभार मिला हुआ है। यत् तीन वर्षों में 1,028 श्रीद्वौगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन, 177 आशय-पत्र तथा 18 श्रीद्वौगिक लाइसेंस जारी किये गये। इनमें 8,665 करोड़ रुपये का सीधा निवेश होने की आशा है। चालू वर्ष के अन्त तक लगभग 80 बड़े तथा मध्यम यूनिटों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

47. तीक्ष्ण उद्योगीकरण के लिए नए श्रीद्वौगिक यूनिटों व वियोषकर श्रीद्वौगिक रूप से पिछड़े खंडों में लगाए जाने वाले यूनिटों के लिए अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न स्वीकृतियां, इन्सेटिव, कर्ज तथा अन्य सेवायें/लाभ देने की प्रक्रिया को सुधारने व सरल तथा सहज बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। मानसीय सदस्यगण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में सभी संडक नाकों को हटाने के साहसी कदम का व्यापार एवं उद्योग जगत् ने बहुत स्वागत किया है तथा इसकी सराहना की है। श्रम कानूनों, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया और पर्यावरण कानूनों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक “एस्प्रॉवर्ड ग्रुप” का गठन किया गया है।

48. उद्योग सञ्चना को विकसित करने के लिए अनेक परियोजनायें चलाई जा रही हैं। भारत सरकार ने बाबल और साहा में दो विकास केन्द्र बनाने का अनुमोदन किया है। प्रत्येक केन्द्र पर लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश होगा। जापानी सहायता से श्रीद्वौगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना मानेसर, गुडगांव में की जा रही है। फरीदाबाद में इंडो जर्मन श्रीद्वौगिक पार्क, गुडगांव में इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क व सिंगापुर टैक्नोलॉजी पार्क, कुण्डली में एक्सपोर्ट श्रीमोदन श्रीद्वौगिक पार्क, आदि कई नये प्रोजेक्ट राज्य में लागू किये जा रहे हैं। यांवों में छोटे उद्योगों के विकास के लिए सरकार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कई उद्योग कुंजों के समूह स्थापित कर रही है।

49. व्यापिक योजना 1995-96 में श्रीद्वौगिक क्षेत्र के लिए 56,29 करोड़ रुपये के परिवय का प्रावधान है।

श्रीद्वौगिक वित्त स्थायों

50. हमें विश्वास है कि केवल सुदृढ़ आधारभूत ढाँचे और सुलभ वित्तीय सहायता के बातावरण में ही उद्योग का विकास संभव है। हरियाणा राज्य श्रीद्वौगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य वित्त निगम, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और हरियाणा कृषि-उद्योग निगम, ये चारों सार्वजनिक उपक्रम उद्योगों को ईकिवटी भागीदारी तथा मध्यम एवं लम्बी अवधि के कर्जों के रूप में आधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा राज्य श्रीद्वौगिक विकास निगम ने सार्वजनिक/संयुक्त/सहायता-प्राप्त क्षेत्रों में अब तक 41 परियोजनायें स्थापित की हैं जिन पर 466,94

करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। 240 करोड़ रुपये के तिवेश वाली 22 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग करारता में पर हस्ताक्षर किये गये हैं। 169 परियोजनाओं के लिए 124, 62 करोड़ रुपये के कर्जे दिये गये हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रथम श्रेणी का मच्चिड़ बैंक है तथा उपकरण पट्टे पर देने वाले अद्वितीय सम्पदाओं और औद्योगिक संरचना के विकास का कार्य भी कर रहा है।

51. हरियाणा वित्त निगम लघु श्रीर मध्यम उद्योगों की वित्त संबंधी जावश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस निगम ने अपनी स्थापना के बाद 575 करोड़ रुपये की राशि के कर्जे दिये हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 224 करोड़ रुपये के कर्जे देने का लक्ष्य है।

सार्वजनिक उपक्रम

52. सार्वजनिक उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में इस समय 46 उपक्रम विभिन्न वित्तीय, व्यापार, सेवा, कल्याण तथा वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम व्यूरो एक नोडल एजेन्सी के तौर पर इन उपक्रमों के कार्य को मौनीटर करती है और उनकी समीक्षा करती है। व्यूरो ने सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय क्षमता को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है और इसने महत्वपूर्ण वित्तीय पैशेजों के आंकड़ा आधार देयार किये हैं।

संस्थागत वित्त तथा राज्य ऋण योजना

53. संस्थागत वित्त विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूँजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान, हरियाणा में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने 1538.48 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। इसमें 71.5 प्रतिशत ऋण प्राथमिक क्षेत्र को, 21.4 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र को और 7.1 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र को दिये गये। 31 मार्च, 1994 को कुल जमा 5945 करोड़ रुपये के मुकाबले कुल बकाया पेशगी 3027 करोड़ रुपये की थी। इस प्रकार ऋण जमा अनुपात 51 प्रतिशत बनता है। वर्ष 1994-95 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना 1517.63 करोड़ रुपये की है जो गत वर्ष से 26 प्रतिशत अधिक है। हमें विश्वास है कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थायें राज्य में विकास की गति को तेज़ करने के लिए राज्य सरकार को पूरी सहायता देती रहेगी।

पर्यटन

54. हरियाणा ने देश में पर्यटन के भानचित्र पर अपना प्रसुख स्थान बन लिया है। इस समय राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 45 पर्यटन केन्द्र हैं जिनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिला हुआ है। सौजन्य पर्यटक सुविधाओं

(6) 40

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मोगे राम गुप्ता]

को और बढ़ाने तथा बेहतर करने का कार्य आरी है ताकि पर्यटन के उद्योग के स्वरूप में विकसित किया जा सके। वर्ष 1995-96 के दौरान डबवाली, टोहाना, मल्लाह, हथनीकुंड तथा मोरनी में नये केन्द्र विकास करने का प्रस्ताव है। ऐहवा और मनसा देवी में यात्री निवास की सुविधा जुटाने का विचार है। निजी शेत्र के उद्यमकर्ताओं को भी राज्य में पर्यटन के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 241 करोड़ रुपये के निवेश वाली 41 पर्यटन परियोजनायें निजी शेत्र के लिए अनुमोदित की गई हैं जिन में से 18 परियोजनायें शुरू हो चुकी हैं। वार्षिक योजना 1995-96 में पर्यटन के विकास के लिए 3.52 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

सड़क परिवहन

55. हरियाणा राज्य परिवहन ने देश का सर्वोत्तम परिवहन उपक्रम होने का गौरव प्राप्त किया है। इस गरिमामय सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता ही है कि हरियाणा राज्य परिवहन को सबसे कम परिचालन खर्च वाला परिवहन होने की दृष्टि दूसरी बार वर्ष 1993-94 के लिए दी गई है। संघीय परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित यह दृष्टिराज्य परिवहन उपक्रम संबंधी प्रदान की जाती है। पैद्योलियम सरक्षण तथा अनुसंधान संस्थान ने भी हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 1993-94 के दौरान प्रतिलिप्त अधिकारी अधिकारी किलोमीटर तय करने के लिए संघीय पैद्योलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित दृष्टिराज्य से सम्मानित किया है। राज्य परिवहन सेवा को और बेहतर बनाने के लिए डिपो परिचालन का कम्प्यूटरी-करण, केन्द्रीकृत इंजन शोवर-हॉलिंग वर्कशॉप की स्थापना, बसें धोने के लिए स्वचालित भशीनों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था आदि अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों के फलस्वरूप इंधन क्षमता, लोड फैक्टर और आय में काफी वृद्धि हुई है। इस समय 2000 से अधिक भारी पर लगभग 3800 बसें करीब 11.99 लाख किलोमीटर रास्ता तय करती हैं और इन बसों में औसतन 11.79 लाख व्यवित प्रतिदिन यात्रा करते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 450 पुरानी बसों को बदलने के लिए 37.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लिक सड़कों पर लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 1994 तक बेरोजगार युवाओं की सहकारी समितियों को 1172 बस परिमिट जारी किये जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास

56. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता हटाने और रोजगार जुटाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आशवासन स्कीम शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सूखा सम्भावित शेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम

को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान एकीकृत शामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15197 परिवारों को सहायता दी गई जिनमें 7312 अनुसूचित जाति के परिवार शामिल हैं। ड्राइसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए 3167 शामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। शामीण विकास के कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 38.46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शहरी विकास

57. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास का कार्य कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 5 नये रिहायशी सैकटर, एक संस्थागत और दो औद्योगिक सैकटर बनाये हैं। नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष 1995-96 की राज्य योजना में 9.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। शहरी वस्तियों के सुधार की स्कीम को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 60 शहरों में कम लागत वाला सफाई कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है और हमारा प्रयत्न है कि शेष 20 शहरों में भी इस कार्यक्रम को लागू करके मार्च, 1996 के अन्त तक हरियाणा राज्य को सिर पर भूला उठाने की प्रथा से मुक्त करवा दें। लघु एवं मध्यम दर्जे के नगरों का एकीकृत विकास और निर्धनों के लिए बुनियादी शहरी सेवाएं जुटाने की स्कीमों पर वर्ष 1995-96 के दौरान क्रमशः 258 लाख रुपये और 38 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। शहरी निर्धनता को कम करने के लिए नेहरू रोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के पहले नींमास के दौरान 3623 शहरी निर्धनों को विभिन्न अवसानों में प्रशिक्षित किया गया और लाभकारी रोजगार के 15,35 लाख श्रम दिवस जुटाये गये हैं।

पिछड़ा क्षेत्र विकास

58. मेवात के पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए वर्ष 1980 में मेवात विकास बोर्ड गठित किया गया था। इस क्षेत्र में शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, कृषि और आवास के विकास को लेंची प्राथमिकता दी गई है। मेवात विकास बोर्ड के लिए बजट अनुभान 1994-95 में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। योजना आयोग द्वारा दी गई विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के फलस्वरूप इस प्रावधान अब बढ़ कर 8 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 1995-96 के लिए मेवात क्षेत्र के विकास के लिए 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से 2 के समूचे विकास के लिए 'मेवात क्षेत्र विकास परियोजना' नामक एक नई परियोजना बनाई गई है। परियोजना की अनुमति लागत 2 से 2.5 करोड़ अमरीकी डॉलर है। जोकि मुख्यतया अन्वरीष्टीय कृषि विकास विधि, रोप से प्राप्त वित्तीय सहायता

की मांगे राम गुप्ता] परिवर्तन के लिए जिसके लिए विधान सभा पूरी की जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत अपले वित्त वर्ष के मध्य में होते ही समाप्त है।

59. अमृतला ज़िले के मोरी, पिंजीर, बरवाला, रायपुरसानी और तारायणगढ़ छोड़ी तथा यमुनानगर ज़िला के छोटीली, सढ़ीरा तथा विलासपुर खंडों में पर्वतीय और अद्य-पर्वतीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए शिवालिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

60. विकेन्द्रीकृत आयोजना [विकेन्द्रीकृत आयोजना]

60. विकेन्द्रीकृत आयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, ज़िला आयोजना एवं विकास बोर्ड की सिफारिश के अनुसार स्थानीय महत्व की छोटी विकास परियोजनाओं पर ध्वनि किया जाता है। ज़िला स्तर पर विकास स्कीमें बनाने में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का प्रयास किया जाता है। वार्षिक योजना 1995-96 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 15.6.3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

61. सासदों के निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी इच्छा के अनुसार पूँजीगत निर्माण-कार्य करने के लिए "सासदों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम" नामक एक नई केन्द्रीय स्कीम चालू वर्ष के दौरान आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक सासद अपनी इच्छा से अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये के निर्माण-कार्य करवा सकता है। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा "विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम" भी आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रति वर्ष 20 लाख रुपये के पूँजीगत निर्माण-कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है। इस स्कीम को वर्ष 1995-96 के दौरान भी चालू रखने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि इस स्कीम से माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यावश्यक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

रोजगार

62. विकास के लिए हमारी सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता रोजगार के अधिक अनुसार जुटाना है, विशेषरूप से सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए। हमने "एक परिवार एक रोजगार" नामक एक महत्वाकांक्षी स्कीम चलाई है जिसका उद्देश्य आठवीं योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। 30 सितम्बर, 1994 तक 2,59,391 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसमें सार्वजनिक

क्षेत्र से 1300 व्यक्ति, प्राइवेट क्षेत्र से 62,126 व्यक्ति, स्व रोजगार क्षेत्र से 1,10,289 व्यक्ति तथा अम रोजगार क्षेत्र से 85,676 व्यक्ति शामिल हैं। सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है ताकि युवा वर्ग को स्व रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य में युवा वर्ग को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु 22 व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिट स्थापित किये गये हैं। चालू वर्ष के दौरान नगल चौधरी, नारलीद, बिलासपुर और बपीली में भार नये रोजगार उपकार्यालय खोले गये हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान "रोजगार आश्वासन स्कीम" के लिए 8,80 करोड़ रुपये का आवधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष के उस समय के दौरान जब खेती का काम नहीं होता, 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है।

आईडीएसि प्रशिक्षण

63. उच्चोगिकरण से उत्पन्न हो रहे रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए उच्चोगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने आवश्यक हैं। आईडीएसि प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा विभाग 70 आईडीएसि प्रशिक्षण संस्थानों और 78 व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दे रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस तथे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किये गये हैं और वर्ष 1995-96 के दौरान 20 और नये संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। मौजूदा आईडीएसि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की आधुनिक बनाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 27,66 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक विश्व बैंक परियोजना चलाई जा रही है। इसके लिए वर्ष 1994-95 में 4,30 करोड़ रुपये और वर्ष 1995-96 में 5,28 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आईडीएसि प्रशिक्षण विभाग और कुछ आईडीएसि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भारतीय उच्चोग महासंघ और कुछ आईडीएसि यूनिटों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और कार्यकुशलता का स्तर बढ़ाया जा सके। इन समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत, आईडीएसि यूनिटों द्वारा 866 विद्यार्थियों और 89 अनुदेशकों को काम पर प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के लिए 5,68 करोड़ रुपये और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 4,88 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा

64. मानव संसाधन विकास के लिए तकनीकी शिक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। अतः सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास, विस्तार तथा इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार पर निरन्तर जोर देती रही है। विश्व बैंक को सड़ायता से चलाई जाने वाली द्वितीय तकनीकी शिक्षा परियोजना वर्ष 1996-97 तक पूरी

(6) 44

इतिवाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मामो राम गुप्ता] : इस परियोजना के अन्तर्गत 8 राजकीय और 4 प्राइवेट पालिटैक्सिंकों को सुदृढ़ करने तथा आधूनिक बनाने और हिसार, करीदाबाद, उटावड़ और नारनील में चार नए पॉलिटैक्सिंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान ₹30.99 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है। वर्ष 1995-96 के दौरान हिसार में राज्य के तीसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 200 एकड़ भूमि अभिगृहीत कर लो गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिए 38.54 करोड़ रुपये के योजनागत धरिव्यय का प्रावधान है।

शिक्षा

65. मानव संसाधनों के प्रभावी विकास हेतु राज्य सरकार बच्चों और युवा वर्ष को उत्तम शिक्षा देने के लिये बचनबद्ध है। अतः हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा को सब लोगों तक पहुंचाने और पूर्ण साक्षरता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित किया है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दाखिल करने के लिए विशेष दाखिला अभियान चलाया गया है। ग्राम स्तर पर इस कार्य के लिये ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। 124 पंचायतों और विद्यालयों में से प्रत्येक को वर्ष 1993-94 के दौरान 2,500 रुपये का और 1994-95 में और हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1995-96 में भी इसी प्रकार को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस अभियान के फलस्वरूप, 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों का दाखिला 30 सितम्बर, 1994 को 23.44 लाख तक पहुंच गया। वर्ष 1995-96 में 23.92 लाख बच्चों को दाखिल करने का लक्ष्य नियत किया गया है। ज्ञो बी० टी० अध्यापकों के 500 अतिरिक्त पद बनाये गये। ज्ञो बी० टी० अध्यापकों के सम्भव ₹5,160 रिक्त पदों की भर्ती के लिये विज्ञापन दिये गये हैं। बच्चों का, विशेषकर अनुसूचित जातियों व जन जातियों के बच्चों का, दाखिला बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सभी सम्भव प्रोत्साहन/सुविधायें दी जाएंगी हैं।

66. 10 जिलों में पूर्ण साक्षरता परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 100 लाख रुपये की लागत से चार जिलों में ये परियोजनायें लागू करने का प्रस्ताव है। जोन्ड. हिसार, कैब्ल और सिरसा जिलों में भिला साक्षरता काफी कम है। इन जिलों के लिए विश्व बैंक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया है। अगले ऐकेंडेमिक सत्र से पहली से बारहवीं कक्षा के छात्रों को एक अनिवार्य विषय के रूप में नेतृत्व शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चों को बैहतह नागरिक बनाया जा सके।

67. लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। वर्ष 1994-95 में 100 प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में लड़कियों के लिये 125 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1995-96 के दौरान लड़कियों के लिए 200 सरकारी प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। लड़कियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है।

68. शिक्षा की बढ़ रही भाँग को पुरा करने तथा उसे सुलभ बनाने के लिए 110 प्राइमरी स्कूलों, 102 मिडिल स्कूलों तथा 46 हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें 1994-95 के दौरान क्रमशः मिडिल, हाई तथा सीनियर सैकण्डरी स्तर का बनाया गया है।

69. सेवा कालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापकों की दक्षता को बढ़ाने के लिए 4 और जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं। इन संस्थानों की कुल संख्या अब 12 हो गई है।

70. राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के भरंसक प्रयत्न कर रही है। राज्य में 145 कॉलेज हैं, जिनमें से 102 कॉलेज गैर-सरकारी हैं। वर्ष 1994-95 में पांच नए महाविद्यालय खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से बदल दिया गया है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। प्राध्यापकों और प्रशासकों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं तथा गौष्ठियों का आयोजन किया गया है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में काविल प्राध्यपाकों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत राष्ट्र स्तरीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय में एक "महिला कक्ष" की स्थापना की गई है।

71. वर्ष 1995-96 में सामान्य शिक्षा के लिए 86.02 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं

72. राज्य सरकार "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बचनबद्ध है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च जो 1966-67 में 1.92 रुपये था, बढ़ कर 1993-94 में 84.52 रुपये हो गया है। स्वास्थ्य नेट-बर्क लगातार फैल रहा है और शिशु व माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मौजूदा 47 अस्पतालों, 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 26 डिस्पैस्टरियों तथा 2,299 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भाव्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 2 शहरी डिस्पैस्टरियों खोली गई हैं।

(6) 46

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मांगे राम गुप्ता]

वर्ष 1995-96 के दौरान चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक डिस्पैन्सरी खोलने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में सभी लोगों को 5-6 किलोमीटर के बीच में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर पर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए "चल चिकित्सा बाहन स्कीम" आरम्भ की गई है। इसके प्रथम चरण में सभी उपकरणों से लैस 16 चल चिकित्सा बाहन तथा दो चल दत्त चिकित्सा बाहन चलाये गए हैं। परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों से जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है और ये क्रमशः वर्ष 1975 में 42.1 तथा 114 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 1993 में 30.6 तथा 65 प्रति हजार हो गई। 2000 ईस्वी तक इनके और कम हो कर 21 तथा 60 प्रति हजार हो जाने की सम्भावना है। महिलाओं को प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् दी जाने वाली सेवाओं तथा बच्चों की प्रतिरक्षा सेवाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए "महिला स्वास्थ्य संघ" नामक एक स्कीम आरम्भ की गई है जिस में ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। पीलियो उन्मूलन कार्यक्रम की "थ्रस्ट एरिया कार्यक्रम" के रूप में अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1994 तक 86.3 प्रतिशत बच्चों को प्रतिरक्षित किया जा चुका है। अन्धेफन और भोजियाबिन्द की समस्या की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एड्स के बढ़ते खतरे से मुकाबला करने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। रोग सम्भावित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एचओआईओ वी० के केसों की जांच करने के लिए करनाल, हिसार, रोहतक तथा फरीदाबाद में चार मौजूदा थोड़ी रक्त जांच केन्द्रों के अतिरिक्त मैडिकल कालेज, रोहतक में एक निगरानी केन्द्र भी खोला गया है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं सम्बद्ध अमल की कुशलता को सुधारने के लिए पंचकूला में एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्थापित किया गया है।

73. कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह स्कीम चार अस्पतालों तथा 69 डिस्पैन्सरियों के भाष्यम से 13 जिलों में चलाई जा रही है। इससे 2,29,000 कामगारों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जायेंगी। वर्ष 1995-96 के दौरान भिवानी में 50 विस्तर बाला अस्पताल पुरा करने, रोज-काम-मेव, सोहना में एक नई डिस्पैन्सरी खोलने तथा फरीदाबाद में 50 विस्तर बाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को 100 विस्तर बाला बनाने का प्रस्ताव है।

74. वर्ष 1995-96 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3.0.20 करोड़ रुपये का योजनागत प्रावधान किया गया है।

जल सप्लाई और सफाई

75. हरियाणा अपने सभी गांवों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य है। अब हम पेय जल की कमी वाले 2,723 गांवों में जल सप्लाई स्तर को 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। चालू वर्ष के दौरान लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से 700 गांवों में जल सप्लाई स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति तक बढ़ाया जाएगा। आगामी वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से 800 और गांवों को यह सुविधा दी जाएगी।

76. हमने बड़े गांवों में जल सप्लाई दर 119 लिटर प्रतिदिन तक बढ़ाने तथा व्यक्तिगत घरों में पानी के कनेक्शन देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1994-95 के दौरान 3 गांवों में तथा वर्ष 1995-96 में तीन अन्य गांवों में यह स्कीम लागू की जाएगी।

77. बहुत सी डाइणियों में अभी तक पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आठवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक सभी डाइणियों को पेय जल की सुविधा जुटाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1994-95 के दौरान दो करोड़ रुपये की लागत से 200 डाइणियों को यह सुविधा दी जाएगी और वर्ष 1995-96 के दौरान 2,20 करोड़ रुपये की लागत से 220 डाइणियों को कवर किया जाएगा।

78. सूखा सम्भावित ज़िलों, अर्थात् हिंसार, तिरसा, भिवानी, रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी के 2,406 गांवों में मस्तूफ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल सप्लाई 40 लिटर से 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब तक 29.59 करोड़ रुपये की लागत से 212 गांवों में यह काम पूरा हो चुका है।

79. वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार तथा ओ०ई० सी०ए० जोपान की 50 प्रतिशत भागीदारी से यमुनानगर, जगाधारी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुडगांव और फरीदाबाद नगरों में 133.47 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण संकाई तथा मलशोधन सुविधा प्रदान करते के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है।

कमज़ोर वर्गों का कल्याण

80. हमारी सरकार, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विभूत जातियों के उत्थान को अत्यधिक प्राथमिकता देती है और उनके शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक स्कीमें ज़बाई जा रही है।

(6) 48

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मांगे राम गुप्ता]

81. कमज़ोर वर्गों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 3,23 करोड़ रुपये के परिवधि से कई प्रोजेक्ट रक्कीमें चलाई जा रही हैं। छुपूर्व-शिक्षण केन्द्र खोले गवे हैं ताकि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।

82. हमारा प्रयास है कि अनुसूचित जातियों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाये। वर्ष 1995-96 के दौरान, मकान बनाने के लिए 95 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। वर्ष 1995-96 के दौरान “अनुसूचित जातियों की वस्तियों के परिवेश में सुधार” रक्कीम के अन्तर्गत 80 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

83. हरिजन कल्याण निधि ने 31 दिसम्बर, 1994 तक अनुसूचित जातियों के 5,885 परिवारों को विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के लिये वित्तीय सहायता दी। राज्य के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निधि ने दिसम्बर, 1994 तक पिछड़े वर्गों के 1,690 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी। 20 सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1994 तक अनुसूचित जातियों के 21,214 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई।

84. राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की एक सही और मुकम्मल सूची तैयार करने के लिए वर्ष 1993-94 में द्वितीय हरियाणा पिछड़े वर्ग आयोग स्थापित किया गया था। इस आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

85. वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए 25.57 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

86. देश की सीमांशों की रक्षा करने में हमारे राज्य के सौभाग्य से माननीय सदस्य अवगत हैं। हरियाणा में प्रत्येक नौवां व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक के परिवार से है। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सेवारत व भूतपूर्व सैनिक को अनेक रियायतें दी हैं।

87. इस रक्कीमों में विद्यवासी को वित्तीय सहायता, अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के लिए भूता, बुद्ध, बीमार और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता, विद्यवासी को पुनियों के विवाह हेतु अनुदान, युद्ध विद्यवासी को सकानों की सरप्तत के लिए अनुदान, स्वरोजगार के लिए सुलभ कर्जे और ग्रामिक सुनिधायें देना शामिल

है। चालू वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर 9 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जा रही है।

महिलायें, बच्चे तथा समाज कल्याण

88. हमारे समाज का अविष्य उज्ज्वल रहे, इसके लिए महिलायें व बच्चों के समेकित विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने, उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल करने तथा बच्चों के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

89. गत वर्षों में निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद हमारे पुनर्प्रधान समाज में लड़की की स्थिति अच्छी नहीं रही। हमारे समाज में लड़कियों की गर्भ में हत्या, कुपोषण और दृव्यवहार, अनपढ़ता तथा बाल विवाह जैसी समस्यायें अभी तक पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। इन सभी समस्याओं से तिपटने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान “अपनी बेटी अपना धन” नामक एक अनुपम और अत्यधिक सराहनीय स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम से अनुसूचित जातियों के अधिकतर परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को लाभ होगा। हर पाल लड़की के जन्म के समय उसके नाम पर 2,500 रुपये के इन्डिश विकासन्पत्र खरीदे जायेंगे। यह राशि आवधिक पुनर्निवास के पश्चात् लड़की को 18 वर्ष की होने पर मिलेगी और वह इसका प्रयोग उच्चतर शिक्षा, आश जुटाने वाले काम, अपने विवाह या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए कर सकती है। इसके अतिरिक्त, माता को भी प्रसव के 15 दिन के अन्दर-अन्दर पौष्टि विवाह के लिए 500 रुपये दिये जायेंगे। इस स्कीम के लिए वर्ष 1994-95 में 9.85 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 के लिए 19.69 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध किया गया है।

90. माननीय सदस्यगण को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि एकीकृत बाल विकास रकीम सभी 110 खण्डों में लागू कर दी गई है। एकीकृत बाल विकास रकीम के लिए, जिसमें अनुप्रक पौष्टि शामिल है, वर्ष 1995-96 के दौरान 38.25 करोड़ रुपये के व्यय का ब्रावोडा न है। वर्ष 1994-95 के दौरान 3.76 करोड़ रुपये के परिव्यय से “एकीकृत महिला एम्पावरमैट तथा विकास परियोजना” नामक एक बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के मूल बना कर स्वास्थ्य सेवाओं, जागृति पैदा करने, शिक्षा सम्बन्धी तथा अधिक गतिविधियों आदि में उनको सीधे शामिल करना है। अन्त इससे जलत दर कम होने की सम्भावना है।

सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा

91. सरकार सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा स्कीमों को प्राथमिकता देती रहेगी। बृद्धावस्था पेशन, विधवा पेशन और विकलांग पेशन स्कीमों को वर्ष 1995-96 के

(6) 50

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मांगे राम गुप्ता]

दौरान जारी रखा जाएगा । इन पर 134.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे । आरोपिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जायेंगी ताकि उन्हें आपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जा सके । वर्ष 1995-96 के दौरान कल्याण कार्यों में लगे स्वयं सेवी संगठनों को सहायता-अनुदान देने के लिए 121.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

आवास

92. राज्य सरकार, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आवास की आवश्यकता के प्रति सजग है । आवास बोर्ड ने 31 मार्च, 1994 तक 44,722 मकान बनाये । इसमें आधिक रूप से कमज़ोर और निम्न आय वर्गों के लिए बनाये गये 29,393 मकान भी शामिल हैं । बोर्ड ने 2 अक्टूबर, 1994 को महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती के अवसर पर महात्मा गांधी आवास योजना शुरू की है । इस स्कीम के अन्तर्गत पंचकूला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुडगांव और हिसार में 32 करोड़ रुपये की लागत से निम्न आय वर्ग के लिए 4,000 मकान बनाये जायेंगे । वर्ष 1995-96 के दौरान 30 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न श्रेणियों के 3,000 और मकान बनाने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार ग्रामीण तथा शहरी निवास व्यक्तियों को आसान जारी पर आवास कर्जे देती है । ग्रामीण आवास स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान 5.13 करोड़ रुपये की राशि का और वर्ष 1995-96 में इसके लिए 23.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । वर्ष 1995-96 के दौरान आवास के लिए कुल 56.70 करोड़ रुपये के योजनागत परिवर्य का प्रावधान है ।

राजस्व प्रशासन

93. भू-अभिलेखों की व्यवस्था राज्य सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से है । भू-तथा राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए रिवाड़ी जिला में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की एक पाठ्यलंद परियोजना चलाई जा रही है । भारत सरकार ने चार अन्य जिलों अर्थात् सिरसा, अमोला, रोहतक और गुडगांव में कम्प्यूटर लगाने के लिए अनुमति दी है और इस प्रयोजन के लिए 74 लाख रुपये की राशि दी है ।

94. राज्य में 472 पटवारखाने हैं । चालू वर्ष के दौरान 30 और पटवारखानों का निर्माण किया जा रहा है । वर्ष 1995-96 के दौरान 55 लाख रुपये की लागत से 42 पटवारखाने बनाये जाने का प्रस्ताव है । चालू वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से 10 रिकाई रूप बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

राज्य लाठी

95. राज्य में विकास के लिए अतिरिक्त धन जुटाने हेतु यहाँ लॉटरी व्यवसाय दो दशकों से भी पूर्व आरम्भ किया गया था। प्राइवेट लॉटरी चलाने वाले जनसाधारण को धोखा देने और उन्हें ठगने लगे थे। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने हरियाणा प्राइवेट लॉटरी निषेध अधिनियम, 1993 बनाकर हरियाणा राज्य में सभी प्राइवेट लॉटरियों की विक्री बन्द कर दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार केवल राज्य सरकारों की लॉटरियां ही बेची जा सकती हैं। चालू वर्ष के दौरान राज्य लॉटरियों से 74,57 करोड़ रुपये का निवल लाभ होने की संभावना है। यद्यपि लॉटरी विभाग राज्य के विकास के लिए प्राप्त साधन जुटा रहा है तथापि यह महसूस किया गया कि लॉटरी का व्यवसाय समाज में बहुत कैल गया है और कुछ वर्गों में लॉटरी के प्रति बढ़ते हुए व्यसन ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। हमारी सरकार ने भारी राजस्व का परित्याग करके, पहली अप्रैल, 1995 से राज्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी की विक्री बन्द करने और हरियाणा में बेची जाने वाली अन्य सभी राज्यों की लॉटरियों पर 20 प्रतिशत की दर से विक्री कर लगाने का निर्णय लिया है।

सरकारी कर्मचारियों की रियायतें

96. हमारी सरकार यह स्वीकार करती है कि राज्य के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने कर्मचारियों को अपने सीमित साधनों के भीतर बहुतरीन सुविधाएं प्रदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों के मनोवेदन को बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकार ने प्रथम जनवरी, 1994 तथा प्रथम जुलाई, 1994 से अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो किस्तों दी हैं, जिन पर 68.61 करोड़ रुपये खर्च हुए। चालू वर्ष के दौरान 54.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए केन्द्रीय बैंडरी पर बोनस भी दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों की अनेक व्येषणियों के बेतनमानों में संशोधन किया है। परिवार पेशन की व्यूनतम वर्द 300 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 375 रुपये प्रति मास कर दी गई है। माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि हम केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पांचवें बेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों को 100 रुपये प्रतिमास अन्तरिम राहत पहले ही दे रहे हैं। 'सी' और 'डी' वर्ग के कर्मचारी 10 तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी ही जाने पर उच्चतर मानक बेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। नियंत्रित चिकित्सा भत्ते की दर बढ़ा कर 60 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। कर्मचारी पेशनभोगी तथा परिवार पेशन पाने वाले पुरानी बीमारियों के संबंध में चिकित्सा व्यय की प्रतिशूलि के लिए अपना विकल्प प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में बदल सकते हैं।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

97. माननीय सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि हमारी सरकार ने राज्य बैतन आयोग का गठन करने का फैसला किया है जो कि सेवा के विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करेगा। यह आयोग शीघ्र अपना कार्य आरम्भ कर देगा। हमने वर्ष 1993-94 के लिए भी केन्द्रीय पैटर्न पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया है। इस बोनस का 2.5 प्रतिशत नकद अदा किया जाएगा।

98. हमने अनुभव किया कि गत वर्षों में भवन-निर्माण पेशारी तथा चाहने पेशारी के लिये निधियों का उपबन्ध अपर्याप्त रहा है, जिस के कारण प्रतीक्षा अवधि बहुत लम्बी हो जाती थी। अतः हमने भवन निर्माण पेशारी के लिए चालू वित्त वर्ष के 6.30 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले वर्ष 1995-96 के दौरान 8.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार चाहने पेशारी के लिये चालू वर्ष के 6.50 करोड़ रुपये के उपबन्ध के मुकाबले वर्ष 1995-96 में 7.35 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

99. विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अड्डाएँ को व अन्य कर्मचारियों की पुरानी मांग पूरी करने के लिये हमने उन्हें पेशन तथा सेवा-निवृत्ति लाभ देने का निर्णय लिया है। चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिये राज्य स्तरीय अध्यापक कल्याण समिति का भी गठन किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान 1994-95

100. मैंने पहले भी जिक्र किया है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान बिजली की स्थिति नाजुक रही, और राज्य को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। अनेक अप्रत्याशित कारणों से अतिरिक्त खर्च की जरूरत पड़ी। इंधन और पुज़ों आदि की लागत बढ़ जाने से परिवहन का खर्च 20.06 करोड़ रुपये ज्यादा हो गया। जल संपादन स्कीमों के उचित रखरखाव के लिए 8 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े। राज्य चुनाव आयोग के गठन और विभिन्न स्थानीय तिकायों के चुनाव करवाने से राजकोष पर 5.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। कर्ज माफी स्कीम के तहत नावांड़ को अदायगी करने के लिए सहकारी संस्थाओं को 2.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देना पड़ा। भूतपूर्व सैनिक परिवार पेशन में बढ़िया करने से 2.43 करोड़ रुपये को देयता बढ़ गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के फलस्वरूप अधीनस्थ जजों के लिये अतिरिक्त अमला तथा कारों की व्यवस्था हेतु 1.27 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। सर्वसम्मति से निर्वाचित पंचायतों को पुरस्कार देने के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

101. इन सब के परिणामस्वरूप हमारे वित्तीय साधनों पर बहुत बोझ पड़ा। सौजन्या खोतों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के प्रयास किये गये जिससे हमारा कर राजस्व बजट अनुमान 1994-95 में 2106.50 करोड़ रुपये से बढ़ कर संशोधित अनुमानों में 2133.16 करोड़ रुपये हो गया। हमारे कर राजस्व की बृद्धि में माल तथा यात्री कर का 13.15 करोड़ का मुख्य योगदान है जबकि स्टाम्प के अन्तर्गत 9.89 करोड़ रुपये तथा बाहन कर के अन्तर्गत 4.40 करोड़ रुपये की बृद्धि होने की संभावना है। चालू वर्ष के दौरान लाटरी व्यवस्था से बजट अनुमानों की तुलना में 59.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुद्ध लाभ होने की आशा है। सिचाई जल दरों में प्रस्तावित बृद्धि न करने के कारण सिचाई जल प्रभारों में 36.81 करोड़ रुपये की कमी हुई है। विजली की नाजुक स्थिति के कारण उसकी दरों में बृद्धि करनी पड़ी जिससे हरियाणा विजली बोर्ड को 170 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय होने की प्रत्याशा है। राज्य वर्ष व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त विजली संलाई सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना जरूरी था।

102. हरियाणा ने अच्छी तर्तुफ कार्यक्रमों की नाम कराया है। कार्यालय अमले, बाहन तथा पैट्रोल आदि सदौ पर योजनेतर खर्चों को न्यूनतम रखने के लिये अनेक उपाय किये गये। इन किफायती उपायों के अतिरिक्त 6 लंग से लागू करने के परिणामस्वरूप हमारे योजनेतर खर्च में, यदि लाटरी को छोड़ दिया जाए तो 31.70 करोड़ रुपये की गिरावट हुई है। यह खर्च बजट अनुमान 1994-95 के 3237.63 करोड़ रुपये से बढ़ कर संशोधित अनुमानों में 3205.93 करोड़ रुपये रह गया। हम ने विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया। इस वर्ष हम कुछ वर्षों बाद राज्य की वार्षिक योजना को निर्धारित बजट तक रखने में कामयाब रहे हैं। संशोधित अनुमानों में वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 1030.33 करोड़ रुपये के परिवर्त्य का उपबन्ध है जबकि इसके लिये मूल अनुमोदित परिव्यय 1025.50 करोड़ रुपये था।

103. वर्ष 1994-95 के राजस्व लेखे बजट अनुमानों में 512.27 करोड़ रुपये के बाटे की बजाए संशोधित अनुमानों में 452.82 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाते हैं। इनसे राजस्व लेखे के अन्तर्गत लेनदेन की सही स्थिति का पता नहीं चलता। हमने विजली बोर्ड की आर्थिक असता बढ़ाने के लिये उसकी 350 करोड़ रुपये ग्रामीण विजलीकरण सरकारी दी है जिसकी बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को की जाने वाली व्याज अदायगियों के साथ एडजस्ट किया जाएगा। सरकारी विभागों के ऊर्जा बिलों के बकाया का अनुभान 425 करोड़ रुपये या जो अब बढ़ कर 373.13 करोड़ रुह गया है। ये एट्रियां राजस्व तथा पूँजीगत लेखों में कांटा एट्रियां हैं। ऐसी कांटा एट्रियों का हिसाब करने के बाद संशोधित अनुमान 1994-95 के राजस्व लेखे में नैट आधार पर 24.89 करोड़ रुपये का घाटा होगा। जबकि बजट अनुमान 1994-95 में यह घाटा 32.47 करोड़ रुपये था। इस प्रकार नैट आधार पर 1994-95 के दौरान राजस्व लेखे में 7.58 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है।

(6) 54

हरियाणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मांगे राम गुप्ता]

104. राज्य बरेलू उत्पाद के अनुपात में चालू वर्ष में वित्तीय वाटा लगभग 3.3 प्रतिशत है जो काफी हद तक उपयुक्त सीमा के अन्दर है।

105. भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार वर्ष 1994-95, 90.98 करोड़ रुपये के बाटे से आरम्भ हुआ। साधारणों के विवेकपूर्ण उपयोग व किफायत के उपायों से चालू वर्ष का अल्प 55.20 करोड़ रुपये के बाटे से होने की संभावना है जबकि बजट अनुमानों में यह धाटा 71.11 करोड़ रुपये का था। वर्ष के खाते में चालू वर्ष के बजट अनुमानों में दर्शाए 3.37 करोड़ रुपये के अधिशेष की तुलना में संशोधित अनुमानों में 35.78 करोड़ रुपये का अधिशेष होना संभावित है।

बजट अनुमान 1995-96

106. माननीय अध्यक्ष महोदय जब मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष 1995-96 अनुमान प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों और 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तालिका में दर्शायी गई है :—

| संघटक | संशोधित अनुमान | लेखे 1993-94 | रुपये करोड़ों | | |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | बजट अनुमान |
| | | | 1993-94 | 1994-95 | 1994-95 1995-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

I. अथ शेष

(क) महालेखाकार

के अनुसार (-) 57.59 (-) 57.59 (-) 77.80 (-) 91.88 (-) 56.10

(ख) भारतीय रिजर्व

बैंक के

अनुसार (-) 54.27 (-) 54.27 (-) 74.48 (-) 90.98 (-) 55.20

(ग) खजाना बिलों

में निवेश 17.42 17.42 17.42 106.18 66.18

II. राजस्व लेखा

प्राप्तियां 3541.43 3481.45 4305.82 6836.56 5004.11

खर्च 3533.22 3401.00 4818.09 7289.38 5048.50

अधिशेष/वाटा (+) 8.21 (+) 80.45 (-) 512.27 (-) 452.82 (-) 44.39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| III. पूँजीगत खर्चे | 314.46 | 302.92 | 214.57 | 256.82 | 474.73 |
| IV. लोक अद्या | | | | | |
| लिया गया | | | | | |
| ऋण | 789.31 | 668.21 | 1157.61 | 923.56 | 1332.33 |
| भुगतान | 400.62 | 287.88 | 813.67 | 485.02 | 794.88 |
| निवल (+) | 388.69 | (+) 380.33 | (+) 343.94 | (+) 438.54 | (+) 537.45 |
| V. कर्जे और | | | | | |
| पेशगियां | | | | | |
| पेशगियां | 282.05 | 289.36 | 322.79 | 360.16 | 362.94 |
| वसूलियां | 34.90 | 31.96 | 457.02 | 395.45 | 33.44 |
| निवल (-) | 247.15 | (-) 257.40 | (+) 134.23 | (+) 35.29 | (-) 329.50 |
| VI. लघु बचतें भविधि निधि आदि | | | | | |
| निवल (+) | 162.98 | 170.27 | 215.08 | 233.20 | 242.58 |
| VII. अमा तथा पेशगियां आरक्षित | | | | | |
| निधि और उच्चत तथा विविध | | | | | |
| निवल (-) | 18.48 | (-) 90.01 | (+) 36.96 | (+) 38.39 | (+) 54.08 |
| VIII. प्रेषण | | | | | |
| निवल | — | (-) 15.01 | — | — | — |
| IX. इतिशेष | | | | | |
| (क) महालेखा- | | | | | |
| कार के | | | | | |
| अनुसार (-) | 77.80 | (-) 91.88 | (-) 74.43 | (-) 56.10 | (-) 70.61 |
| (ख) भारतीय | | | | | |
| रिजर्व बैंक के | | | | | |
| अनुसार (-) | 74.48 | (-) 90.98 | (-) 71.11 | (-) 55.20 | (-) 69.71 |
| (ग) खजाना | | | | | |
| विलों में | | | | | |
| निवेश | 17.42 | 106.18 | 17.42 | 66.18 | 10.78 |

(6) . 56

हरिहराणा विधान सभा

[13 मार्च, 1995]

[श्री मंगे राम गुप्ता]

107. भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार वित्त वर्ष 1995-96 में 55.20 करोड़ रुपये के बाटे से शुरू तथा 69.71 करोड़ रुपये के बाटे से खत्म होने की सम्भावना है। अतः वर्ष के लेखे में वर्ष 1995-96 में 14.51 करोड़ रुपये का बाटा होने की सम्भावना है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 35.78 करोड़ रुपये का अधिक्षेष है। बजट अनुमानों में कुल 1472.29 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यवकीय व्यवस्था है जिसमें 1250 करोड़ रुपये राज्य योजना तथा 222.29 करोड़ रुपये केन्द्र चालित तथा अन्य विकास स्कीमों के लिये शामिल हैं।

108. लाटरियों से सम्बद्ध प्राप्तियाँ तथा खर्च कॉन्ट्रो एन्ट्री हैं, जिनको एडजस्ट करने से वर्ष 1994-95 के दौरान 74.57 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 30.15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ बचता है। विजली बोर्ड द्वारा कृषि लेखे की सस्ती दरों पर विजली देने के लिये दी जाने वाली सबसिडी के बकाया की आदायगी हेतु 1995-96 के बजट अनुमानों में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान एडजस्टमेंट आधार पर किया गया है। माननीय सदस्यगण को याद होगा कि वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। ग्रांस आधार पर वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 5004.11 करोड़ रुपये व राजस्व खर्च 5048.50 करोड़ रुपये होना अपेक्षित है। बहरहाल ग्रांस आंकड़ों से वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 दोनों के हो राजस्व लेखे की जहां स्थिति स्पष्ट नहीं होती। नेट आधार पर, लॉटरी तथा आमीण विजलीकरण सबसिडी आदि कॉन्ट्रो-एन्ट्रीयों का हिसाब करने के बाद राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 326.19 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। नेट राजस्व द्वारा वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में दिखाये 24.89 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 18.39 करोड़ रुपये रह जाना अपेक्षित है।

109. कर राजस्व में 1994-95 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि है, यद्यपि भिन्न करों के लिये भिन्न वृद्धि दरें अपनाई गई हैं। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिये भये संकेतों के अनुसार रखा गया है। भारत सरकार द्वारा 10 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद इस हिस्से में और वृद्धि होने की प्रत्याशा है। टैक्स तथा नॉन-टैक्स, दोनों प्रकार की राजस्व प्राप्तियों के अनुमान प्रवृत्ति के आधार पर लगाए गए हैं और विभिन्न प्राप्तियों के लिये विभिन्न मापदण्ड अपनाए गए हैं। अर्थ-न्यवस्था में निहित लचीलेपन और प्रत्याशित बढ़ोतारी से राजस्व में और वृद्धि होनी संभावित है। करों की चोरी रोकने के उपायों व करों के ढांचे को तकँसंगत बनाने से राज्य करों से वसूलियों में भी काफी वृद्धि अपेक्षित है।

110. योजनेतर खर्च का अनुमान लगाने में प्रायः योजना आयोग के अलदेशों और नींवें वित्त आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। हम अपने अनुमान 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लगाना चाहते थे क्योंकि वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि में इस आयोग का अवाई लागू होगा। किन्तु इस आयोग की सिफारिशें अभी तक संसद द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। वहरहाल, आवश्यक खर्च का प्रावधान करने के पश्चात् योजनेतर राजस्व खर्च को कम से कम रखने का प्रयत्न किया गया है। पूँजी निर्माण हेतु अधिक कर्ज प्राप्तियों के कारण व्याज अदायगी, जो 1994-95 के संशोधित अनुमान में 509.86 करोड़ रुपये थी, 22.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 1995-96 के बजट अनुमानों में 625.03 करोड़ रुपये हो गई है। यहीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी की गई योजनागत स्कीमों को जारी रखने के लिये बजट अनुमान 1995-96 में 60.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि खेत को रियायती दरों पर बिजली देने के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अदायगी करने हेतु 110 करोड़ रुपये की नकद सबसिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान एडजस्ट-मैट आधार पर भी किया गया है। राजकीय इंजीनियरी विभागों द्वारा बर्तमान बिजली बिलों की अदायगी के लिये 59.60 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत निधि के स्थान पर इस वर्ष नई स्कीम अपनाई जानी है। फिलहाल आपदा राहत कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह नई स्कीम 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगी और वित्त वर्ष 1995-96 से लागू होगी। जनवरी, 1995 तथा जूलाई 1995 को देय होने वाली भूमध्य भ्रते की किस्तों और वित्त वर्ष 1993-94 के लिये सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के लिये बजट अनुमान 1995-96 में 112.17 करोड़ रुपये का एकमुक्त प्रावधान किया गया है।

111. माननीय सदस्यगण ध्यान देंगे कि 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य द्वारा 1332.33 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण लिया जाएगा, जिसमें 133.89 करोड़ रुपये का बाजार ऋण शामिल है। 794.88 करोड़ रुपये के भुगतान के पश्चात् नेट सार्वजनिक ऋण 537.45 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि, देश के कई अन्य राज्यों से भिन्न हरियाणा में योजना खंडों का कुछ हिस्सा ही कर्जों के द्वारा पूरा किया जाता है। वहरहाल राज्य का कुल ऋण भार बढ़ रहा है। महालेखाकार, हरियाणा के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1994 को राज्य पर ऋण भार 4373.01 करोड़ रुपये था। प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य की ऋण देयता में 642.35 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अतः 31 मार्च, 1995 को राज्य की कुल ऋण देयता 5015.36 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो 31 मार्च, 1994 को ऋण भार से 14.7 प्रतिशत अधिक होगी। यह भार 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 1996 तक 16 प्रतिशत बढ़ कर 5816.83

[दोस्रे भाग राम गुप्ता] मैं आज इन बाबूओं के लिये उत्पादनशील करोड़ रुपये होने का समावेश है। ये निविधियाँ मुख्यतः पूर्जीगत निवेश और उत्पादनशील सम्पत्तियाँ बनाने के लिये हैं क्योंकि इन पर व्योज देयता बहुत होती है।

112. मैं मानवीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि अनेक राज्यों का वित्तीय बाटा काफी अधिक है। अब देश भर में वित्तीय बाटे को उचित सीमाओं में रखने की अवश्यकता को महत्व दिया जाने लगा है। 10वें वित्त अधीन के वित्तप्रश्न विषयों में भी यह अपेक्षा की गई थी कि आयोग केवल तथा राज्य सरकार के वित्तीय बाटे पर नियन्त्रण रखने के लिये प्रभावी उपायों की सिफारिश करें। केन्द्र सरकार ने वित्तीय बाटे को धीरे धीरे कम करने के लिये अनेक नियरक उपाय किए हैं। राज्य धरेल उत्पाद के अनुपात में हरियाणा का वित्तीय बाटा वर्ष 1995-96 के दौरान 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

113. सरकार व्यापार और उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं से पूर्णतः जीवगत है और उनके प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। हम रुक्वटों असतोष और परशानी का कारण बनने वाले प्रोसीजरों में सुधार लाने के लिये सदृश तत्पर हैं। चाल वर्ष के दौरान निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है। अब ऐसे निरीक्षण के बाल अधिकारियों की टीम द्वारा तथा वर्ष में एक दो बार ही किये जायेंगे। इन उपायों से व्यापारियों और उद्योगपतियों को इंसपेक्टरी राज से काफी हक तक राहत मिलेगी। पहली अप्रैल 1994 से अलोह धातु उत्पाद तथा शीशों की कुछ मदों पर विक्री कर की हर बड़ा दी गई है, जबकि चते की चूरी और सभी ढालों की चूरी छीलके पर विक्री कर से पूरी छूट दे दी गई है। सामान्य श्रेणी के डीलरों के लिये विक्री कर के अधीन कर योग्य मात्रा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3 लाख रुपये कर दी गई है। विक्री कर की प्रणाली में सुधार लाने और व्यापारियों की शिकायतें भाँके पर ही दूर करने के लिये "आमने सामने" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है।

114. मैं यहाँ पर वह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का उद्देश्य नए कर लगाने अथवा इकलूकी दरें बढ़ाने की बजाए चर्चमान कर कानूनों को बिना भेदभाव के, असरदार तरीके से तालगू करके अधिक राजस्व प्राप्त करना है। मेरा इस बजट में कुछ मदों की विक्री कर लेने का प्रस्ताव देने तथा कुछ अन्य मदों पर विक्री कर की दरें युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। महिलाओं को राहत देने के लिये मेरा इम्प्रूवड चूल्हों, सिद्धूर तथा मंगलसूत को विक्री कर से छूट देने का प्रस्ताव है कि गंरीब लोगों की प्रमुख खुराक बाजरा, मकई तथा ज्वार जैसे मोटे अनाज को भी विक्री कर से छूट दे दी जाए। मेरा प्रस्ताव देश की आवी आशा के प्रतीक विद्यार्थियों को भी राहत देने का है। इस प्रयोजन के लिये अधिकतम 2.5 रुपये के परचून मूल्य तक के पैन, बालपैन और लिखने वाली स्थाही जैसी लेखन-सामग्री की जाने वाली ब्रेल टाइप मशीन स्लेट व लेखन-सामग्री को भी विक्री कर से छूट देने का प्रस्ताव

है। पहले किये गये वायदे को पूरा करने के लिये मेरा प्रस्ताव टैन्ट डीलरों को बिन्दी कर से छूट देने का है। सूरजमुखी के तेल पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर देय कर की वर्तमान दर को 4 प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ताकि इसे सरसों, तोरिया और तिल के तेल पर कर के बराबर लाया जा सके। गत वर्ष हमने तम्बाकू उत्पादों पर लग्जरी टैक्स लगाया था परन्तु इससे यह व्यापार बड़े पैमाने पर अनियमित तरीकों से तथा दूसरे राज्यों में होना शुरू हो गया है, क्योंकि पछोती राज्यों में ऐसा कर नहीं है। अतः हमारा प्रस्ताव है कि तम्बाकू उत्पादों पर लग्जरी टैक्स हटा दिया जाए।

115. हमारा यह प्रयास रहा है कि बजट में घाटा कम से कम रहे और यह उपयुक्त सीमाओं के अन्दर ही हो। यह घाटा 10 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपेक्षित केन्द्रीय करों में अधिक हिस्सा तथा अधिक सहायता-अनुदान मिलने और मौजूदा साधनों से अधिक राजस्व बसूल करके व योजनेतर खर्च में सख्त किफायत से पूरा कर लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में परिकल्पित सभी विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह कार्यान्वित कर पायेंगे। यह सदन के माननीय सदस्यों और हरियाणा की जनता के सहयोग और सहायता से ही संभव हो पाएगा।

महोदय, अब मैं बजट अनुभान 1995-96 इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जयहिन्द ।

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 14th March, 1995.

***15.34]** (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday the 14th March, 1995).

20(3) *Wing W. May in Scarsdale, NY*

The first specimen to molt in the field after being captured was a female which had been collected from a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation.

On the 2nd day of the month, a male was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation.

On the 3rd day of the month, a female was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation.

20(4)

On the 4th day of the month, a male was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. He was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation.

On the 5th day of the month, a female was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation. She was captured in a small stream in the Bronx Park Reservation.

20(5) *Wing W. May in Scarsdale, NY*